



www.canarabank.com
Toll Free Helpline 1800 1030

केनरा बैंक Canara Bank

भारत सरकार का उपक्रम

A Government of India Undertaking

सिंडिकेट Syndicate

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में खाता खोलने का सामान्य फार्म (गैर-वैयक्तिक)

आवेदन का प्रकार ☐ नया ☐ अद्यतन करना है तिथि
ग्राहक आई डी:
खाता नंबर
केवाईसी नंबर (अद्यतन करने के लिए अनिवार्य)
खाता धारक का प्रकार: ☐ यूएस रिपोर्टेबल ☐ अन्य रिपोर्टेबल (कृपया सामान्य अनुदेशों के पृष्ठ 14 की मद 'क' देखें)

क) तारांकित (*) को भरना अनिवार्य है
ख) जहां लागू हो [X] लगाएं
ग) तिथि को यदि -मामा-वववव फॉर्मेट में भरें
घ) पठनीय मोटे अक्षरों में भरें।
ङ) खंडवार विस्तृत दिशानिर्देश/अनुदेश पढ़ें।
च) सामान्य अनुदेशों में दो अक्षरों का आईएसओ 3166 देश कोड भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार राज्य/युटी कोड में उपलब्ध है।
छ) किसी विशेष खंड को अद्यतन करने के लिए उस खंड के सामने दिए गए बॉक्स (✓) लगाएं और जो लागू न हों उन्हें काट दें।
ज) अद्यतन करने के लिए केवाईसी नंबर अनिवार्य है
झ) प्रमुख शब्दों की परिभाषा इस फार्म के अंत में दी गई है

☐ मेरे / हमारा केनरा बैंक में कोई खाता नहीं है या
☐ मेरे / हमारा केनरा बैंक में खाता है जिसकी खाता संख्या है।

1. इकाई विवरण (कृपया सामान्य दिशानिर्देश की मद 'ग' देखें)

1. इकाई का नाम (मोटे अक्षरों में)
कारोबार शुरू करने की तिथि *: (पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के लिए लागू)
निगमन/गठन की तिथि *: पैन या फर्म 60 (कंपनियों तथा साझेदारों को छोड़कर)
निगमन/गठन का स्थान *: निगमन/गठन का देश (कोड - आईएसओ 3166) (सामान्य अनुदेश देखें)
जीएसटीएन: पहचान का प्रकार ☐ (कृपया सामान्य अनुदेश का मद ग'2 देखें) अन्य यदि है तो उल्लेख करें _____
इकाई की संरचना *: ☐ (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'ख' देखें)
सीआईएन (केवल कंपनी के मामले में लागू)

2. पहचान का प्रमाण (कृपया सामान्य अनुदेशों का अनुदेश 'घ' देखें)

☐ निगमन/गठन का प्रमाणपत्र ☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र ☐ अन्य _____
☐ खाता परिचालन के लिए प्राधिकृत व्यक्ति की पहचान का प्रमाणस्वरूप स्वीकार्य दस्तावेज ☐ बोर्ड/प्रबंधन समिति का संकल्प
☐ संस्था के बहिर्नियम एवं अंतर्नियम/साझेदारी विलेख/न्यास दस्तावेज ☐ गतिविधि का प्रमाण (केवल एकल स्वामित्व के लिए)

3. संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का विवरण

(हर संबंधित व्यक्ति के लिए अलग-अलग 'अनुलग्नक 2' भरना है, सामान्य अनुदेशों की मद 'छ' देखें)

संबंधित व्यक्तियों की संख्या*: (संबंधित व्यक्ति से आशय निदेशक, प्रमोटर, कर्ता, ट्रस्टी, साझेदार, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, लाभार्थी, लाभार्थी मालिक, न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी से है)
लाभार्थी मालिकों की संख्या*: (यद्यपि लाभार्थी मालिक संबंधित व्यक्ति है, संबंधित व्यक्तियों में से लाभार्थी मालिकों की संख्या संबंधित व्यक्तियों में से अलग रूप से तय की जाएगी लाभार्थी के मालिक संबंधित व्यक्ति का अंश/उपअंश है) (परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें)

4. पते का प्रमाण (आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज की प्रति, जहां भी लागू है, प्रस्तुत करें) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश ड देखें)

4.1 वर्तमान/स्थायी/विदेश पता विवरण*

☐ भारत में पंजीकृत कार्यालय (यदि लागू है)/ कारोबार स्थान का पता
पता का प्रकार*: ☐ आवासीय/कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अविनिर्दिष्ट
पते का प्रमाण*: ☐ निगमन/गठन का प्रमाणपत्र ☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र
पंक्ति* 1:
पंक्ति* 2:
पंक्ति* 3: शहर/नगर/गांव*:
जिला*: पिन/पोस्ट कोड*:
राज्य/यूटी का नाम कोड*: देश कोड*:
(आईएसओ 3166)

4.2 पत्र व्यवहार/स्थानीय पता का विवरण

☐ वर्तमान/स्थायी पते के अनुसार (एक से अधिक पत्र व्यवहार/स्थानीय पते होने के मामले में, कृपया 'अनुलग्नक 3' भरें)
पते का प्रकार*: ☐ आवासीय/कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अविनिर्दिष्ट
पते का प्रमाण*: ☐ निगमन/गठन प्रमाणपत्र ☐ पंजीकरण का प्रमाणपत्र
पंक्ति* 1:
पंक्ति* 2:
पंक्ति* 3: शहर/नगर/गांव
जिला पिन/पोस्ट कोड
राज्य/यूटी का नाम कोड देश कोड (आईएसओ 3166)

4.3 यदि ड्रकार्ड भारत के बाहर का निवासी है और वहां पर ही कर देता है तो उस अधिकार क्षेत्र में उसका पता*

☐ वर्तमान / स्थायी / विदेश पते के विवरण के अनुसार	☐ पत्र व्यवहार/स्थानीय पते के विवरण के अनुसार
पते का प्रकार * ☐ आवासीय / कारोबार ☐ आवासीय ☐ कारोबार ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अविनिर्दिष्ट	
पते का प्रमाण (भारत के बाहर पंजीकृत इकाइयों के लिए * : ☐ पंजीकरण प्रमाणपत्र या ऐसा ही अन्य प्रमाणपत्र ☐ निगमन / गठन का प्रमाणपत्र	
पंक्ति* 1 :	
पंक्ति* 2 :	
पंक्ति* 3 :	शहर / नगर / गांव
राज्य* : जिल्ला/पोस्ट कोड देश कोड *: आईएसओ 3166)	

11. परिचालन विधि

☐ एकल ☐ संयुक्त रूप से ☐ अलग-अलग ☐ बोर्ड के संकल्प के अनुसार ☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) _____

12. अपेक्षित सेवाएं (अपेक्षित सेवा पर (✓) लगाएं (सेवा प्रभार लागू))

कॉरपोरेट इंटरनेट बैंकिंग : देखने के अधिकार ☐ लेन-देन करने के अधिकार ☐ चेक बुक ☐ व्यवसाय डेबिट कार्ड ☐
 पीओएस की सुविधा (कार्ड स्वाइप करने की मशीन) ☐ एसएमएस अलर्ट ☐ कैश पिक-अप सुविधा ☐ ध्वनि बॉक्स सुविधा ☐
 स्टेटमेंट की अवधि मासिक ☐ तिमाही ☐ अर्ध-वार्षिक ☐ भीम क्यूआर सुविधा ☐
 अन्य _____ ☐

ई-स्टेटमेंट भेजने के लिए ई-मेल आईडी

एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल 1 या मोबाइल 2 (कृपया खाता आवेदन पत्र में भाग 1 में दिए गए मोबाइल नंबर देखें)

13. खाता प्रकार :

खाता प्रकार नाम : _____

(कृपया हमारी वेबसाइट देखें या हमारी शाखा में जाएँ)

14. वचन पत्र: अन्य बैंक / वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधा

☐ मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बैंक (बैंकों) वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से ऋण सुविधा नहीं ली है) या दिनांक

☐ मैंने/ हमने निम्नानुसार अन्य बैंक (बैंकों)/वित्तीय संस्था (संस्थाओं) से ऋण सुविधा ली है ।

क्र. सं.	ऋण प्रदाता बैंक/ वित्तीय संस्था का नाम	शाखा	शाखा का पता (ई-मेल व पिन नंबर सहित)	खाता संख्या	“ कार्यालयीन उपयोग हेतु ” एनओसी प्राप्त
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐
					हाँ ☐ नहीं ☐

ध्यान रहे : सभी ऋण प्रदाता बैंकों से खाता खोलने से पहले एनओसी लिया जाए।

अन्य इकाई का विवरण :

सुनिश्चित करें कि वह संस्था इकाई वित्तीय संस्था है या गैर वित्तीय संस्था है (कोई भी इकाई या तो वित्तीय संस्था हो सकती है या गैर-वित्तीय संस्था, दोनों नहीं)

☐ वित्तीय संस्था (एफआई) : (वित्तीय संस्था के सामने (✓) लगाने पर कृपया सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 भरें)

(बैंकों, बीमा एजेंसियाँ, एनबीएफसी आदि) या

☐ गैर वित्तीय संस्था (एनएफआई) : यदि संस्था एनएफआई है तो क्या वह ☐ सक्रिय एनएफआई या ☐ निष्क्रिय एनएफआई

(कोई संस्था या तो सक्रिय एनएफआई या निष्क्रिय एनएफआई हो सकती है, दोनों नहीं, कृपया सक्रिय या निष्क्रिय एनएफआई के संबंध में सामान्य दिशानिर्देश 'ज' देखें)

नियंत्रक व्यक्ति(यों) की संख्या (केवल निष्क्रिय एनएफआई के मामले में लागू, प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति के लिए अनुलग्नक 2 भरें)

प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली गैर-वित्तीय विदेशी इकाई : हाँ ☐ नहीं ☐

यदि हाँ तो कृपया प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग करनेवाली एनएफआई का जीआईआईएन दर्शाएं :

विधिक इकाई पहचानकर्ता (एलआई कोड क्र.)
 (जहाँ पर लागू है)

कर के नियमों के अनुसार आवास का देश

केवल भारत में कर भरने वाली इकाई न कि भारत के बाहर किसी अन्य देश की निवासी हाँ ☐ नहीं ☐

(हाँ पर (✓) निशान लगाने पर नीचे दिए गए बाक्स को न भरें)

फटका एवं सी.आर.एस. बॉक्स

यू एस का टैक्स रसीडेंट हाँ ☐ नहीं ☐ (यदि हाँ है तो टीआईएन भरें) यूएस टिन :

यदि यूएस का टैक्स रसीडेंट है तो, क्या वह व्यक्ति

यूएस व्यक्ति है ☐ नहीं ☐ (यू एस के टैक्स व्यक्ति के लिए अनुदेश न देखें)

विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति (अनुदेश 'त' देखें) हाँ ☐ नहीं ☐ (यदि निविर्दिष्ट यूएस व्यक्ति का उत्तर हाँ है तो इकाई की यूएस रिपोर्टिंग की जाएगी)

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी हाँ ☐ नहीं ☐ तो

देश का कोड भरें और टीआईएन / निवासी सक्रिय संख्या समतुल्य पहचान नंबर भरें

यदि यूएस के अलावा अन्य देश के बाहर कर निवासी हाँ है तो इकाई निम्न लिखित में से किस श्रेणी में आती है।
(निम्नलिखित श्रेणी में से चुनें-यदि इनमें से कोई भी हाँ नहीं है तो खाता अन्य रिपोर्टेबल खाता है)

1. कोई निगम जिसके स्टॉक की खरीद फरोख्त व्यापार एक या अधिक सुस्थापित सिन्क्यूरिटीज बाजार में होती है हाँ ☐ नहीं ☐

2. कोई निगम जो उपरोक्त (1) में वर्णित निगम की संबंधित इकाई है। हाँ ☐ नहीं ☐

3. सरकारी संस्था हाँ ☐ नहीं ☐

4. कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन हाँ ☐ नहीं ☐

5. केंद्रीय बैंक हाँ ☐ नहीं ☐

6. वित्तीय संस्था हाँ ☐ नहीं ☐

कर उद्देश्य के लिए कोई निवास नहीं। हाँ ☐ नहीं ☐

मद (1) से (6) तक के संबंध में यदि किसी हाँ पर () निशान लगा होने पर खाता को अन्य रिपोर्टेबल खाता नहीं माना जाएगा

यदि इकाई न तो भारत की कर निवासी है, या यूएस की या यूएस के अलावा भारत के बाहर की कर निवासी है, तो कर भरने के प्रयोजन हेतु कोई आवास नहीं श्रेणी में हाँ भरा जाएगा

यदि हाँ हो तो कृपया उस देश का कोड भरें जहां पर संस्था का प्रधान कार्यालय स्थित है

देश कोड :

बहुदेशीय कर आवास हाँ ☐ नहीं ☐ (यदि हाँ तो नीचे का टेबल भरें)

- यदि इकाई विनिर्दिष्ट व्यक्ति है तथा यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी भी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी इकाई माना जाएगा।
- यदि इकाई विनिर्दिष्ट यूएस व्यक्ति नहीं है पर भारत से बाहर एक से अधिक देशों का कर निवासी है, तो उसे बहुदेशीय कर निवासी इकाई माना जाएगा।

यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी	टीआईएन या वैसा कोई नंबर (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन, कंपनी पहचान नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
पंक्ति* 1 :		शहर :
पंक्ति* 2 :		राज्य :
पंक्ति* 3 :		पिन :
यूएस के अलावा भारत के बाहर का कर निवासी	टी आई एन या वैसा कोई नंबर (प्राधिकारी द्वारा जारी)	पहचान का प्रकार (टीआईएन या वैसा कोई नंबर (सीआईएन), ईआईएन या अन्य कोई, कृपया उल्लेख करें)
पता*		
पंक्ति* 1 :		शहर :
पंक्ति* 2 :		राज्य :
पंक्ति* 3 :		पिन :

फार्म 60 केवल उन इकाइयों के लिए लागू है जो कंपनी अथवा भागीदारी नहीं है। (जिनके पास पैन उपलब्ध नहीं)

नाम
(पहचान प्रमाण के अनुसार)

यदि पैन के लिए आवेदन किया हुआ है और जारी नहीं किया गया है तो आवेदन की तिथि तथा पावती नंबर
यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया है तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेन-देन किया गया है, की अनुमानित कुल आय भरें (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार)

कृषिगत आय (रु.) कृषि के अलावा अन्य आय

सत्यापन

मैं _____ एतद्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर जो भी लिखा गया है, वह मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जिस वित्तीय वर्ष में यह लेन-देन किया गया है, उसमें मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि को शामिल करके) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार परिकलित कर योग्य अधिकतम राशि से कम ही होगी।

सत्यापित: दिन..... दिनांक.....को

स्थान :

घोषणाकर्ता के हस्ताक्षर

नामांकन : केवल एकल स्वत्वधारी खाता हेतु

- ☐ मैं अपने/हमारे खाते में नामांकन करना चाहता/चाहती हूँ
☐ मैं अपने / हमारे खाते में नामांकन नहीं करना चाहता/चाहती हूँ

नामांकन फार्म (डीए 1)

बैंक जमाराशियों के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 45 जेड और नियमावली 1985 के अंतर्गत नामांकन मैं/हम _____ व्यक्ति को नामित करता/करती हूँ / करते हैं, जिसे मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर जमाराशि जिसके विवरण नीचे प्रस्तुत किए गए हैं, केनरा बैंक द्वारा वापस कर दी जाए।
(उस शाखा/कार्यालय का नाम व पता जहां जमा राशि रखी गई है)

नामांकन क्रम संख्या

जमाराशि का विवरण :

जमाराशि का प्रकार _____ खाता संख्या :

नामिती का नाम

नाम
जमाकर्ता के साथ संबंध _____ आयु नामिती की जन्मतिथि
पता
शहर: पिन राज्य
नामिती नामिती का ग्राहक आई डी (शाखा द्वारा भरा जाए)

चूंकि इस तिथि को नामिती अवयस्क, है इसलिए मैं/हम श्री/श्रीमती/सुश्री _____ आयु _____ वर्ष पता _____

को नामिती की अवयस्कता के दौरान मेरी/हमारी/अवयस्क की मृत्यु होने पर नामिती की ओर से जमा की राशि प्राप्त करने के लिए नियुक्त करता/करती/करते हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

साक्षी का विवरण (यदि आवेदक निरक्षर है और अंगूठे का निशान लगा रहा है, तो साक्षी की आवश्यकता है)

साक्षी 1 नाम : _____

साक्षी 2 नाम : _____

पता : _____

पता : _____

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान: _____ दिनांक : _____

स्थान: _____ दिनांक : _____

आवेदक की घोषणा :

1. मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और इसमें परिवर्तन होने पर मैं आपको सूचित करने का वचन देता/देती हूँ। यदि कोई जानकारी गलत या झूठी या भ्रामक या गलत प्रस्तुत की जाती है तो मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहेंगे।
2. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियमों/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम इकाई की ओर से हस्ताक्षर करने की क्षमता रखता हूँ/रखते हैं।
3. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि कंपनी नियम 2017 (श्रेणियों की संख्या पर प्रतिबंध) के उप-नियम (2) में उल्लिखित कंपनियों की श्रेणी में यह शामिल है और इसकी दो श्रेणियों से अधिक अनुबंधियाँ नहीं हैं। (कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के दिनांक 21 सितंबर 2017 के राजपत्र की अधिसूचना क्र. 793 में दिए गए विवरणों के अनुसार)।
4. मैं/हम घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने केनरा बैंक के नियमों तथा बैंक द्वारा दी जानेवाली सेवाओं, जिसमें डेबिट कार्ड/ईएनएट बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग / टेली बैंकिंग / मोबाइल बैंकिंग / वचुअल बैंकिंग तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं, को पढ़ लिया है। मैं/हम उनका अनुपालन करने के लिए सहमत होता हूँ/देते हैं, जो बैंक/विनियामक/सरकार द्वारा परिपत्र, अधिसूचनाओं, सूचना फलक/वेबसाइट/समाचार-पत्र प्रकाशन के जरिये समय-समय पर संशोधित की जाएगी। ऐसे संशोधनों के संबंध में व्यक्तिगत सूचना देने के अधिकार को मैं/हम परित्याग करता हूँ / करते हैं। मेरे/हमारे खाते में मेरे/प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इंटरनेट, मोबाइल, टेली बैंकिंग या वचुअल बैंकिंग के माध्यम से मेरे/हमारे यूजर आईडी तथा पासवर्ड/पिन/ओटीपी द्वारा किए गए लेन-देन या अनुरोध मुझे / हम पर विधिक रूप से बाध्य होंगे और ऐसे मामलों में प्राधिकृत करने के विवरण तथा किसी अन्य जानकारी/विवरण/ओटीपी/पिन आदि की गोपनीयता तथा विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मैं/हम जिम्मेदार हूँ/हैं। मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि कोई सेवा शुल्क, व्यय या अन्य देय राशि जिस पर बैंक का हक है/या जिसकी वसूली मुझसे की जानी है, के लिए मेरे/हमारे खाते को नामे करने का अधिकार बैंक को है। किसी नियम/विनियम या खाता के परिचालन संबंधी शर्तों के विचलन/पालन न करने पर, बिना सूचना के मेरे खाते को समाप्त करने/उसे जारी न रखने के लिए मैं/हम बैंक को प्राधिकृत करता हूँ/करते हैं। मेरे पत्राचार के पते या संगठन में कोई परिवर्तन/संशोधन होने पर, मैं/हम बैंक को उसकी सूचना देने के लिए वचन देता हूँ/देते हैं और एक शाखा से दूसरी शाखा में खाते का अंतरण करने पर मैं/हम पते का प्रमाण देगा/देगे।
5. आधार विवरण के अनुसार खोले गए खातों के संबंध में, मैं एतद्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि पीएमएलए 2002 के तहत केवाईसी मानदंडों के अनुपालन में पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मेरी पहचान तथा/या पते के प्रमाण के तौर पर यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड प्रस्तुत किया है। बैंक द्वारा यूआईडीएआई से उसका सत्यापन करने तथा बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन द्वारा मेरी पहचान और पते की सूचना बैंक को देने के लिए मैं यूआईडीएआई को प्राधिकृत करता/करती हूँ।
6. मैं/हम पुष्टि करता/करती हूँ / करते हैं कि किसी भी प्रचलित विधि का/विनियामक/संविदात्मक या अन्य प्रावधानों से खाता खोलने तथा/या उसके परिचालन बैंक के साथ लेन-देन करने के लिए मुझे/हमें रोका/प्रतिबंधित नहीं किया गया है।
7. मेरे/हमारे व्यक्तिगत केवाईसी विवरण को केंद्रीय केवाईसी पंजीकरण या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के साथ साझा करने हेतु मैं/हम सहमत होता/देती हूँ/देते हैं। मेरे/हमारे पंजीकृत मोबाइल नंबर-ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से बैंक/केंद्रीय केवाईसी पंजीकरण/भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक या किसी अन्य प्राधिकारी से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत होता हूँ/देते हैं। मैं/हम इसके लिए भी सहमत हूँ/हैं कि किसी ऐसे एसएमएस/ई-मेल के न मिलने के कारण बैंक किसी भी प्रकार की हानि या नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
8. मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एसओ.2155(इ) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डी.बीआर.एमएल.बीसी. क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने पंजीकृत संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
9. मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता / करती हूँ/ करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की हैसियत/स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे/हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित

10. मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित/प्रमाण तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा दिया गया दस्तावेजी सबूत, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपायी, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू एस रिपोर्टबल खाता या अन्य रिपोर्टबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा बन सके। यदि मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/निवारण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/होंगे।
11. मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदले जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी सबूत के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
12. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी दस्तावेज/सूचना की किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं/हम खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा/पाऊँगी/पाएँगे। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (पीओआई) / भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात किसी प्राधिकरण या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक / भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को होगा।
13. भारत या विदेश में खाते के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझे/हमें मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
14. मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।
15. बैंक की अपेक्षानुसार आवधिक अंतरालों पर केवाईसी अद्यतन करने के लिए नए केवाईसी दस्तावेज सहित डाटा/जानकारी देने के लिए मैं/हम वचन देता /देती हूँ/देते हैं।
16. मैं/हम समझता / समझती हूँ/हैं कि बैंक द्वारा केवाईसी संबंधी ग्राहक की समुचित जांच किए जाने पर ही खाता सक्रिय किया जाएगा और नाम अनुमत किए जा सकेंगे।
17. खाता खोलने के लिए अपेक्षित मासिक औसत न्यूनतम शेष के बारे में मुझे/हमें सूचित किया गया है तथा यह संशोधन/परिवर्तन के अधीन होगा तथा ऐसे संशोधन/परिवर्तन को बैंक की वेबसाइट में रखा जाएगा, जो मुझे सूचना के रूप में स्वीकार्य होगा।
18. खाता खोलने के छः महीने के भीतर आधार तथा/या पैन प्रस्तुत करनेका मैं/हम वचन देता / देती हूँ/देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम 2005 (अभिलेखों का रखरखाव) नियमों में संशोधन करके (यदि खाता आधार/पैन के बिना खोला गया है) तो खाता बंद किया जा सकता है।
19. यदि खाता खोलते समय वर्तमान पते के लिए आधिकारिक वैध दस्तावेज माने जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो खाता खोलने के 3 माह के भीतर आधार या वर्तमान पते वाले आधिकारिक वैध दस्तावेज माने जाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने का मैं / हम वचन देता/देती हूँ / देते हैं। ऐसा न करने पर भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार मेरे खाते में परिचालन को रोक जा सकता है।
20. मैं पुष्टि करता/करती हूँ और वचन देता/देती हूँ कि मैं वचुअल करंसी का व्यापार नहीं करूँगा/करूँगी तथा वचुअल करंसी की किसी सेवा से संबंधित कार्य के लिए अपने खातों का प्रयोग नहीं करूँगा/करूँगी।
21. मैं संबंधित खाता योजना में निर्धारित औसत मासिक शेष (एमएबी) रखने का वचन देती हूँ तथा औसत मासिक शेष न रखने पर दंडात्मक शुल्क भरने के लिए सहमत हूँ।

कृपया

यहाँ फोटो

चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कृपया

यहाँ फोटो

चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 2 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कृपया

यहाँ फोटो

चिपकाएँ

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 3 के हस्ताक्षर (क्रम का ध्यान रखें)

नाम :
पद :
दिनांक :
नाम, हस्ताक्षर, मुहर और सत्यापन करने वाले अधिकारी का एस.एस. क्र.

कार्यालय उपयोग हेतु

1. आवेदक से बातचीत की और प्रयोजन अभिनिश्चित किया गया (प्रयोजन का उल्लेख करें): _____

2. क्या ग्राहक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्व-प्रमाणपत्र तथा दस्तावेजों को सत्यापित किया जा चुका है और उन्हें सही एवं विश्वसनीय पाया गया है ?
(ध्यान रहे : प्रमाणपत्र के सामने हों होने पर ही खाता खोला जाए)

हाँ ☐ नहीं ☐

3. प्रारंभिक सीमा रु. _____

4. दस्तावेज प्राप्त : ☐ स्वतः प्रमाणित ☐ सत्यापित प्रतियाँ ☐ नोटरी

5. जोखिम संवर्ग/श्रेणी ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

6. व्यक्तिगत सत्यापन किया गया और आवेदक की जाँच पहचान पत्र से की गई

☐ की गई

7. प्राधिकृत अधिकारी ने खाता आवेदन पत्र पर दिए गए स्ववाचिकारीईकाई की गतिविधि का सत्यापन किया

हाँ ☐ नहीं ☐

अधिकारी का नाम : _____ स्टाफ नंबर: _____ पदनाम: _____

दिनांक: एसपी नंबर: _____ हस्ताक्षर : _____

ग्राहक आई डी खोला जाए

संदर्भ संख्या

संक्षिप्त हस्ताक्षर

दिनांक : (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

ग्राहक आईडी

खाता खोलें

शाखा प्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी (हस्ताक्षर)

खाता खोलने की तारीख :

खाता नंबर :

यदि कोई टिप्पणी करनी है तो : _____

सहायक (हस्ताक्षर)	अधिकारी (हस्ताक्षर)
नाम : _____	नाम : _____
कर्मचारी/पदधारी का नाम : _____	कर्मचारी/पदधारी का नाम : _____
एसपी नंबर/स्टाफ संख्या : _____	एसपी नंबर/स्टाफ संख्या : _____
कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : _____	कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : _____
कर्मचारी/पदधारी की शाखा : _____	कर्मचारी/पदधारी की शाखा : _____

खाता बंद करने की तिथि _____ खाता दिनांक _____ को शाखा _____ को अंतरित किया गया

प्राधिकृत पदधारी (हस्ताक्षर)

चालू खाता के नियम

- यदि ग्राहक द्वारा वैकल्पिक चैनलों से चालू खाता नहीं खोला जाता है तो खाते में राशि जमा करने के लिए ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित जमा पर्ची का उपयोग किया जाना चाहिए। जमा पर्ची को काउंटरफाइनल के साथ बुक प्रारूप में ग्राहक को उपलब्ध कराया जाएगा और किए गए लेन-देन का अधिप्रमाणन बैंक के प्राधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जाएगा। जमाकर्ता स्वपुष्टि करें कि लेनदेन प्रमाणित है।
- चेक बैंक के मुद्रित फार्म में ही आहरित किया जाए। इससे भिन्न रूप से आहरित किसी भी चेक का भुगतान बैंक द्वारा रोका जा सकता है। चेक पर किसी भी प्रकार के संशोधन की स्थिति में बैंक उसका भुगतान रोक सकता है बशर्ते कि वह आहरणकर्ता के पूरे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणन नहीं किया गया है। चेक के आहरण के समय ध्यान दिया जाए कि उसमें संशोधन के लिए कोई गुंजाइश न हो तथा उसपर किए गए हस्ताक्षर बैंक के पास रखे हुए नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप होना चाहिए।
- बिना पूर्व व्यवस्था के ग्राहक को अपने खाता का अधि आहरण नहीं करना चाहिए, भले ही कितनी कम राशि की क्यों न हो। चालू खाते में ओवरड्राफ्ट की सुविधा वर्तमान अनुदेशों के अनुसार दिया जाता है। दैनिक शेष पर बैंक द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज लगाया जाएगा।
- ग्राहक से सूचना मिलने पर बैंक किसी गुमशुदा, खोए हुए चेक की अदायगी रोकने के अनुदेश नोट करेगा परंतु यदि चेक का इस दौरान भुगतान न हो इसकी गारंटी नहीं दे सकेगा।
- बैंक ग्राहक के बिल, ड्राफ्ट, चेक, पेंशन बिल आदि का वसूली करता है। व्यक्तिगत खातों में बैंक बाहरी केंद्र के चेक, ड्राफ्ट डिविडेंड वारंट आदि का पूर्व निर्धारित सीमा तक तुरंत जमा भी देता है।
- स्थानीय चेक आदि का समाशोधन सीटीएस समाशोधन के माध्यम से किया जाएगा।
- समाशोधन के लिए भेजे गए चेकों, बिलों की राशि खाते में जमा होने तक उनके प्रति आहरण नहीं किया जाना चाहिए।
- जो चेक, बिल आदि मांग पर संदेय नहीं हैं उनको उनकी देय तिथि से कम से कम एक कार्य दिवस पहले बैंक के पास उगाही के लिए प्रस्तुत करना चाहिए।
- आवधिक अंतरालों पर धन-प्रेषण आदि के लिए बैंक स्थायी आदेशों को स्वीकार करता है।
- आवधिक अंतरालों पर ग्राहकों को खाते की विवरणी भेजी जाएगी और किसी भी समय आवेदन करने पर प्राप्त हो सकता है। ग्राहक को विवरणी के हर एक मद की जांच ध्यान से करनी चाहिए और यदि कोई भूल-चूक की त्रुटि पाई गई है तो उसे तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। इस सावधानी के बरतने पर होनेवाली हानि के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
- ग्राहक के पते में कोई परिवर्तन हो तो उसे बैंक के साथ किए जानेवाले पत्राचार तथा जमा पर्चियों में ग्राहक को साफ-साफ अक्षरों में खाता खोलते समय दिए गए खाता नंबर का उल्लेख करना चाहिए।
- ग्राहक के आवेदन पर बैंक के किसी अन्य शाखा में खाते को अंतरित किया जा सकेगा।
- बैंक, सिविलियुटिज़ एवं शेरों की सुरक्षित अभिरक्षा एवं ब्याज की वसूली आदि के लिए स्वीकार करता है जिसकी जानकारी आवेदन पर प्राप्त हो सकती है।
- इन नियमों में संशोधन / जोड़ने / कम करने का अधिकार बैंक के पास है

उद्योग कोड

1. एयरलाईंस/एवियेशन	15. कसीनो	29. आयात/निर्यात	43. स्टील / हाईवेयर
2. विज्ञापन एजेंसी	16. सीमेंट / पेंट	30. मैनुफैक्चरिंग	44. स्टॉक एवं शेयर
3. कृषि/कृषीतर उद्योग	17. चिट फंड	31. महाजन	45. टैक स्टार्टअप
4. आटोमोबाइल	18. उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	32. मीडिया/मनोरंजन	46. टेलिकम्युनिकेशन
5. आटोपाटर्स	19. कुरियर / माल कार्गो	33. मेडिकल / स्वास्थ्य	47. कपड़े / वस्त्र
6. आटो फिनांस	20. निर्माण / आवासन	34. मार्बल एवं ग्रेनाइट	48. यात्रा एवं पर्यटन
7. हथियारों के व्यापारी	21. कंसेलटैंसी (सलाहकार सेवाएं)	35. तेल एवं गैस	49. यातायात/मालवहन
8. बैंकिंग/वित्तीय सेवाएं	22. इलेक्ट्रॉनिक्स	36. पेट्रोल पंप	50. विदेशी मुद्रा के व्यापारी/सराफा
9. इंजीनियरिंग एवं कैपिटल गुड्स	23. फर्नीचर / लकड़ी	37. औषध बनानेवाली कंपनियां	51. प्रोफेशनल
10. खाद्य / रसायन / बीज	24. सरकारी निकाय	38. पावर/विजली	(डाक्टर/वकील/इंजीनियर सलाहकार आदि)
11. कीटनाशक	25. होटल / रेस्तरांट	39. मुद्रण/प्रकाशन	52. रिटेल चैन / एफएमसीजी
12. मत्स्यपालन / मुर्गीपालन	26. अस्पताल / क्लिनिक / नर्सिंग होम	40. धार्मिक संस्थाएं	53. आईटी सेवाएं
13. जवाहरात / आभूषण	27. इंफ्रास्ट्रक्चर	41. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	
14. काल सेंटर / बीपीओ	28. बीमा	42. स्कूल / कॉलेज / संस्थाएं	

हम, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155 (ई) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र डी बी आर. ए.एम.एल. बी.सी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 द्वारा सूचित आयकर 1962 के नियम 114 एफ से 114 एच के अंतर्गत अपनी संस्था की स्थिति नियमानुसार घोषित और प्रमाणित करते हैं :-

	वित्तीय संस्था की स्थिति को टिक करें	हाँ	नहीं
	इकाई का नाम		
1.	क) डिपोजिटरी संस्था		
	ख) संरक्षक संस्थान		
	ग) निवेश इकाई जो निष्क्रिय नहीं है एनएफआई		
	घ) विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी		
2.	मालिक-आधारभूत यूएस मालिक के साथ प्रलेखित वित्तीय संस्था (अनुलग्नक - II के अनुसार आधारभूत यूएस मालिक का विवरण लेना है)		
3.	वित्तीय रिपोर्टिंग संस्था		
4.	यदि उपरोक्त 2 और 3 हाँ है तो कृपया वैश्विक मध्यवर्ती पहचान नंबर (जीआईआईएन) का उल्लेख करें।		
5.	गैर प्रतिभागिता वित्तीय संस्था		
6.	गैर रिपोर्टिंग वित्तीय इकाई (यदि हाँ, तो नीचे तालिका के किसी एक श्रेणी में टिक करें)		
क्र.सं	एनआरएफआई की श्रेणी		क्र.सं एनआरएफआई की श्रेणी
1.	सरकारी इकाई :	13	भविष्य निधि
2.	अंतरराष्ट्रीय संगठन :	14	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को किसी एक डिपॉजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है
3.	केंद्रीय बैंक :	15	योग्य क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता :
4.	ट्रिटि क्वालिफाइड रिटायरमेंट फंड :	16	सीटीबीटी नियमों के अनुसार निर्दिष्ट निवेश इकाई (नियम 11 4 एफ (5) (एफ):
5.	नैरो पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	17	छूटप्राप्त सामूहिक निवेश इकाई
6.	ब्रॉड पार्टिसिपेशन रिटायरमेंट फंड :	18	ट्रस्टी - डाकुमेंटेड इंडियन ट्रस्ट
7.	किसी सरकारी इकाई की पेन्शन निधि :	19	स्थानीय ग्राहक आधारित वित्तीय संस्थान राज्यसहकारी बैंक । जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्र के बैंक सहित
8.	अंतरराष्ट्रीय संगठन की पेन्शन निधि :	20	ने बताया कि संपत्ति नियम 11 (4) एफ (5) को स्पष्टीकरण (ओ) के के दायरे में आती हों
9.	किसी सेंट्रल बैंक की पेन्शन निधि :	21	केवल कम मूल्य खाते वाली वित्तीय संस्था
10.	सशस्त्र बलों की गैर सार्वजनिक निधि :	22	प्रायोजित निवेश इकाई और नियंत्रित विदेशी कॉरपोरेट (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
11.	कर्मचारी राज्य बीमा निधि :	23	प्रायोजित सीमित धाटता वाली निवेश वाहन (रिपोर्टिंग योग्य यूएस खाते के संबंध में)
12.	ग्रेच्युटी निधि :	24	एक भारतीय निवेश इकाई जो पूरी तरह से एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है और जो किसी भी ऋण ब्याज को एक डिपॉजिटरी संस्था या एनआरएफआई द्वारा (i) से (xiii) में उल्लिखित है ।

हम प्रमाणित करते हैं कि सीबीडीटी नियमों/आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार हम वित्तीय संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने के पात्र हैं ।

दिनांक :

स्थान : _____

हस्ताक्षर
इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

(प्रत्येक नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक के लिए अलग अलग फार्म भरा जाए)

केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए आवेदन का प्रकार* ☐ नया ☐ अद्यतन करना है आवेदक (सीपी/आरपी) का ग्राहक आई डी: सीपी/आरपी/खाता क्रमांक	शाखा द्वारा नाम एवं डीपी संख्या वाली रबड़ मुहर लगानी है।	नियंत्रक व्यक्ति/ संबंधित व्यक्ति/ लाभार्थी मालिक का फोटो
इकाई का नाम		

1. नियंत्रक व्यक्ति/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी मालिक का विवरण
(कृपया सामान्य अनुदेश देखें):

1. क नियंत्रक व्यक्ति के विवरण (निष्क्रिय एनएफई के लिए):

☐ नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना	☐ नियंत्रक व्यक्ति को हटाना	☐ नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना
---	--	--

केवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो तो) (केवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल नियंत्रक प्रकार एवं नाम अनिवार्य)

नियंत्रण का प्रकार :

विधिक व्यक्ति के मामले में ☐ स्वामित्व	☐ अन्य प्रकार	☐ वरिष्ठ पदधारी
न्यास के मामले में ☐ व्यवस्थापनक	☐ न्यासी	☐ संरक्षक
अन्य कानूनी व्यवस्था के मामले में : ☐ व्यवस्थापक के समान	☐ न्यासी के समान	☐ संरक्षक के समान
अपरिचित के मामले में ☐		

1. ख संबंधित व्यक्ति के विवरण

☐ नियंत्रक व्यक्ति को जोड़ना	☐ नियंत्रक व्यक्ति को हटाना	☐ नियंत्रक व्यक्ति के विवरण अद्यतन करना
---	--	--

केवाईसी क्रमांक (यदि उपलब्ध हो) (केवाईसी क्रमांक उपलब्ध होने पर केवल नियंत्रक प्रकार एवं नाम अनिवार्य)

संबंधित व्यक्ति प्रकार*

☐ निदेशक	☐ प्रवर्तक	☐ कर्ता	☐ न्यासी	☐ साझेदार	☐ प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
(लागू होने पर एक से अधिक बॉक्स पर टिक किया जा सकता है) ☐ न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी	☐ लाभार्थी	☐ लाभार्थी मालिक	☐ अन्य		

(पृष्ठ क्र 18 की परिभाषा देखें)

2. वैयक्तिक विवरण* (कृपया अनुदेश छ. II देखें)

उपाधि	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
-------	----------	----------	-----------

नाम (पहचान पत्र प्रमाण के समान)*

आरंभिक नाम (यदि कोई हो तो)

पिता का नाम*

पति/पत्नी का नाम*

माँ का नाम*

यूआईडी/आधार संख्या अथवा आधार नामांकन संख्या

डीआई एन (डाइरेक्ट आईडेंटिफिकेशन नंबर) : (संबंधित व्यक्ति के निदेशक होने पर अनिवार्य)

जन्म तिथि *:

दि	दि	मा	मा	व	व	व	व
----	----	----	----	---	---	---	---

लिंग : ☐ एम-पुरुष ☐ एफ-महिला ☐ टी-ट्रांसजेंडर

वैवाहिक स्थिति *: ☐ विवाहित ☐ अविवाहित ☐ अन्य

राष्ट्रियता : ☐ आईएन भारतीय ☐ अन्य

देश कोड (आईएसओ 3166)

निवास स्थिति *: ☐ निवासी व्यक्ति ☐ गैर - अनिवासी भारतीय ☐ विदेशी राष्ट्रिक ☐ भारतीय मूल के व्यक्ति

नागरिकता *: ☐ भारतीय ☐ अन्य

व्यवसाय प्रकार ☐ एस-सेवा ☐ सार्वजनिक क्षेत्र ☐ निजी क्षेत्र ☐ सरकारी क्षेत्र

☐ ओ-अन्य ☐ व्यवसायी ☐ स्वनियोजित ☐ सेवानिवृत्त ☐ गृहिणी ☐ छात्र

☐ बी-व्यवसाय ☐ गैर-वर्गीकृत

राजनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति : ☐ हाँ ☐ नहीं

कर निवास देश का कोड *: (भारत का कोड 'आईएन' है)

भारत के कर निवास का ही देश कोड एवं भारत के बाहर का किसी अन्य देश अथवा क्षेत्र का नहीं* हाँ ☐ नहीं ☐ (जवाब नहीं होने पर कृपया पृष्ठ 2 के कॉलम 6 एवं 7 में विवरण भर दें)

राजनीतिक रूप से जुड़ा व्यक्ति वह होता है, जिसे किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी गई हो। उदाहरण के लिए राज्यों अथवा सरकार के प्रमुख, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सेना अधिकारी, राज्य सरकार के स्वामित्व के निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनैतिक दल के अधिकारी आदि।

पैन/टिन संख्या अथवा ऐसी ही कोई अन्य संख्या *: (कर प्रयोजन से निवास का क्षेत्राधिकारी केवल भारत होने पर, इस फील्ड में पैन नंबर भर दें।)

जन्म स्थान/शहर : जन्म के देश का कोड *: (आईएसओ 3166)

3. आधार / पैन में वर्तमान पता न होने पर पते का प्रमाण

(वर्तमान पता युक्त निम्नलिखित में से कोई एक आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए)

☐ ए-पासपोर्ट ☐ बी-मतदाता पहचान पत्र ☐ सी-ड्राइविंग लाइसेंस ☐ डी-नरेगा जॉब कार्ड

☐ ई-राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी किया गया ई-पत्र जिसमें ये शामिल हो **अथवा**

पहचान क्रमांक :

जारी करने की तिथि :

वैधता समाप्त होने की तिथि :

बिंदु क्रमांक 3 में आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों में अद्यतन पता न होने पर पते का प्रमाण

आधिकारिक रूप से वैध माने जाने वाले किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जानी चाहिए

पते का प्रकार *: ☐ आवासीय पता ☐ आवास ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ अविनिर्दिष्ट

पते का प्रमाण *: ☐ यूटिलिटी बिल ☐ नगरपालिका कर रसीद ☐ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) ☐ राज्य/केंद्र/सरकारी/सांविधिक अथवा विनियामक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र निकाय/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/वित्तीय संस्था/सूचीबद्ध कंपनियों के नियोजकों द्वारा जारी आवास आबंटन पत्र

4.आवास विवरण:

☐ स्थायी पता जो वर्तमान पते के समान हो

दस्तावेज क्रमांक /पहचान क्रमांक *

द्वारा जारी कर्ता* जारी करने की तारीख

जारी करने का स्थान * वैधता समाप्त होने की तिथि (यदि लागू हो तो)*

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 : जिला *:

जिला *: पिन/डाक कोड *:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र देश का कोड *:

नाम का कोड *: 3166 (आईएसओ)

5.संपर्क विवरण (सभी पत्र, दिए गए मोबाइल नंबर / ई-मेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे) (कृपया अंत में दिए गए अनुदेश 'च' को देखें)

टेलीफोन (कार्यालयीन) टेलीफोन (आवासीय) :

फैक्स :

मोबाइल 1 मोबाइल 2

ई-मेल आईडी 1

ई-मेल आईडी 2

6. बहुविध कर आवास : संयुक्त राज्य अमेरिका तथा/अथवा भारत के बाहर के किसी देश अथवा क्षेत्र के बाहर के कर आवास देश के विवरण (भारत के अलावा) :

कर आवास देश	कर पहचान क्रमांक अथवा ऐसा कोई, यदि क्षेत्राधिकार के तहत जारी किया गया हो	पहचान का प्रकार (टिन अथवा अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)

यदि कर आवास भारत में हो तो पैन को टिन माना जाए।

1. संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्म लेने वाले व्यक्ति सहित संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक, जो अन्य देश का निवासी हो (जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता नहीं छोड़ी दी हो)

2. संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन कार्ड धारक सहित संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति

3. कुछ ऐसे व्यक्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्येक वर्ष 180 से अधिक दिन रहते हैं।

7.क्षेत्राधिकार/देश के बाहर का पता-जहां आवेदक कर प्रयोजन के लिए अनिवासी भारतीय है

पते का प्रकार *: ☐ आवासीय / व्यवसाय ☐ आवासीय ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 : शहर/नगर/गाँव *:

जिला *: पिन/डाक कोड *:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के देश का कोड :

नाम का कोड *: (आईएसओ 3166)

नाम :

(पहचान पत्र के प्रमाण के समान हो)

पैन के लिए आवेदन किया गया हो और अभी तक न मिला हो तो कृपया आवेदन करने की तारीख और पावती क्रमांक.....दर्ज करें।

यदि पैन के लिए आवेदन नहीं किया गया है, तो उस वित्त वर्ष जिसमें उपर्युक्त लेनदेन किया गया है, के लिए आय कर अधिनियम 1961 की धारा 64 के अनुसार (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की) आय सहित अनुमानित कुल आय भरें।

कृषि आय (₹) कृषीतर आय

सत्यापन

मैंएतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास स्थायी खाता क्रमांक (पैन) नहीं है और आय कर अधिनियम 1861 की धारा 64, उसके प्रावधानों के अनुसार उस वित्त वर्ष जिसमें यह लेनदेन किया गया, के दौरान परिगणित मेरी/हमारी आय (पति/पत्नी, अवयस्क बच्चे आदि की आय सहित) अधिकतम राशि जिस पर कर नहीं लगाया जाता, से कम है। आज दिनांक 20 को सत्यापित किया गया।

स्थान :

घोषणाकर्ता का हस्ताक्षर

9. आवेदनकर्ता की घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम उसमें कोई बदलाव होने पर आपको उसकी सूचना तुरंत दूंगा/दूँगी/देंगे कोई भी सूचना गलत अथवा भ्रामक अथवा गलत प्रस्तुत किए जाने पर मुझे/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी/रहेंगे।
- मेरे/हमारे केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री के साथ साझा किए जा सकते हैं।
- उपयुक्त पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पते पर एसएमएस/ई-मेल से केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से सूचना प्राप्त करने के लिए मैं/हम सहमत देता/देती हूँ/देते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की 7 अगस्त 2015 की अधिसूचना क्र. एस.ओ. 2155 (ई) द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 285 बीए के अंतर्गत लागू नियमों तथा इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के 28 अगस्त 2015 के परिपत्र क्रमांक डीबीआर.एमएल.बीसी.क्र. 36/14.01.001/2015-16 के अनुसार मैंने/हमने परवर्ती संशोधन सहित अपनी स्थिति की घोषणा कर दी है।
- मैं/हम समझता/समझती हूँ/समझते हैं, स्वीकार करता/करती हूँ/करते हैं तथा प्राधिकृत करता/करती हूँ/करते हैं कि आवास की स्थिति तथा/या उसमें निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर आयकर अधिनियम के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार और इस मामले पर भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के आधार पर, बैंक को मेरे / हमारे खाते (खातों) से संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), या अन्य सरकारी एजेंसी को अंतर-सरकारी करार (आईजीए) की बाध्यता के अनुपालन के तहत विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (फटका) तथा कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स (सीआरएस) तथा/या किसी समान व्यवस्था के तहत रिपोर्ट किए जा सकते हैं।
- मैं/हम प्रमाणित तथा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि खाता खोलने तथा अन्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए अथवा वेबसाइट/इलेक्ट्रॉनिक रूप से मेरे/हमारे द्वारा हस्ताक्षरित/प्रमाणित तथा खाता खोलने के लिए एवं अन्य सेवा प्राप्त करने के लिए मेरे/हमारे द्वारा किया गया दस्तावेजी प्रमाण, मेरी जानकारी के अनुसार सही और संपूर्ण है तथा मैंने/हमने ऐसी कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं छिपाई, जिससे कि मेरे/हमारे खाते को यू.एस. रिपोर्टेबल खाता या अन्य रिपोर्टेबल खाता या अन्य के रूप में निर्धारित करने/वर्गीकरण करने में बाधा उत्पन्न हो सके। मेरे/हमारे द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत या झूठा या भ्रामक या गलत प्रस्तुत किए जाने पर, मैं/हम उसके लिए जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
- मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मेरे द्वारा यहाँ/अथवा अन्य स्थान पर दी गई जानकारी, प्रस्तुत दस्तावेजी प्रमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने अथवा कोई प्रमाणीकरण गलत होने अथवा बदल जाने पर, ऐसे परिवर्तन की तारीख से 30 दिनों के अंदर इसकी घोषणा एवं सूचना देने की जिम्मेदारी मेरी/हमारी होगी। जब कभी अपेक्षित होने पर दस्तावेजी प्रमाण के साथ नया एवं वैध स्व-प्रमाणन प्रस्तुत करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ। जब तक उपर्युक्तानुसार बैंक को संशोधित स्व-प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया नहीं जाता, तब तक मेरे द्वारा दिए गए ऐसे सभी संशोधित दस्तावेज/जानकारी के मामले में भी यहाँ दिया गया वचन लागू होगा।
- मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं कि अब या भविष्य में मुझे/हमें ज्ञात कोई महत्वपूर्ण तथ्य/सूचना प्रकट करने या निर्धारित समय के भीतर किसी विसंगति का समाधान नहीं करने पर मैं खाते से लेनदेन कर नहीं पाऊँगा। अन्य विवरण तथा मेरे खाते में परिचालन पर रोक लगाने या उसे बंद करने या किसी भी विनियामक या भारत सरकार (पीओआई)/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए तैनात प्राधिकरण है, या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड/भारतीय रिजर्व बैंक/भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई शुरू करने का अधिकार बैंक को है।
- भारत या विदेश में खाता के परिचालन या रख-रखाव से संबंधित किसी भी नियम के बदलने के कारण मुझसे/हम से मांगी जानेवाली किसी भी प्रकार की जानकारी प्रस्तुत करने या सूचित करने के लिए मैं/हम सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूँ/करते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नियम/भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मुझे/हमें संस्था की ओर से हस्ताक्षर करने की पात्रता है।
- मेरे/हमारे द्वारा दिए गए विवरण में चूक/गलती या गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बैंक को कोई हानि/नुकसान होने पर, मैं/हम उसकी क्षतिपूर्ति करूँगा/करूँगी/करेंगे।

दिनांक

स्थान :

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

दस्तावेज प्राप्त ☐ स्व-प्रमाणित ☐ सत्य प्रति ☐ नोटरी ☐ जोखिम श्रेणी: ☐ उच्च ☐ मध्यम ☐ निम्न

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया ☐ किया गया ☐ दिनांक:

कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षर कर्मचारी/पदधारी का नाम

एस पी संख्या / स्टाफ संख्या कर्मचारी/पदधारी का पदनाम : कर्मचारी/पदधारी की शाखा :

अनुदेश :

- जहाँ * चिह्न हैं उसे भरना अनिवार्य है
- फार्म को बड़े अक्षरों में भरें

आवेदन का प्रकार ☐ नया ☐ अद्यतन करना है

केवाईसी नंबर (वित्तीय संस्था द्वारा भरा जाए)

(अद्यतन करने के अनुरोध के समय संस्था की केवाईसी संख्या देना अनिवार्य है)

पते का प्रमाण (पीओए)

पत्राचार/स्थानीय पता विवरण*

☐ वर्तमान/स्थायी/विदेश के पते का विवरण

पते का प्रकार

आवासीय या व्यवसाय ☐ आवासीय ☐ व्यवसाय ☐ पंजीकृत कार्यालय ☐ गैर-सूचित

पंक्ति* 1 :

पंक्ति* 2 :

पंक्ति* 3 :

जिला :

देश का नाम :

राज्य/यूटी

पिन/पोस्ट कोड

संपर्क विवरण (यदि मोबाइल/ईमेल से संपर्क करना है तो निम्नलिखित मोबाइल/ईमेल पर संपर्क करें)

टेलीफोन (कार्यालय):

टेलीफोन (आवास)

मोबाइल नं.:

फैक्स :

ईमेल आईडी :

आवेदक द्वारा घोषणा

- मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ/करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है और यदि इसमें कोई परिवर्तन होता है तो मैं/हम तत्काल आपको सूचित करूंगा/करूंगी/करेंगे। यदि कोई भी सूचना भ्रामक या गलत ढंग से प्रस्तुत पाई जाती है तो मुझे/हमें पता है कि मैं/हम इसके लिए जिम्मेदार हूँ/होंगे।
- मेरा/हमारा वैयक्तिक केवाईसी विवरण केंद्रीय केवाईसी पंजीकरण के साथ शेयर किया जा सकता है।
- मैं/हम इससे सहमत हूँ/हैं कि केंद्रीय केवाईसी पंजीकरण द्वारा ऊपर पंजीकृत नंबर/ईमेल पते पर मुझे/हमें सूचित किया जा सकता है।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर

इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

सत्यापन / केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए

दस्तावेज प्राप्त

☐

स्व प्रमाणित

☐

सत्य प्रति

☐

नोटरी

☐

जोखिम श्रेणी:

☐

उच्च

☐

मध्यम

☐

निम्न

पहचान के सत्यापन द्वारा व्यक्तिशः सत्यापन किया गया

☐

किया गया

दिनांक:

कर्मचारी/पदधारी के हस्ताक्षर

कर्मचारी/पदधारी का नाम

एस पी संख्या / स्टाफ संख्या

कर्मचारी/पदधारी का पदनाम :

कर्मचारी/पदधारी की शाखा :

(कंपनी (स्टॉक एक्सचेंज पर अधिसूचित कंपनी या ऐसी कंपनी की अनुषंगी को छोड़कर), साझेदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के लिए लागू)

- ग्राहक का नाम : _____
(कंपनी, साझेदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास)
- पंजीकृत नंबर : _____
(यदि उपलब्ध है तो)
- पंजीकृत पता : _____

उपर्युक्त ग्राहक द्वारा पुष्टि और घोषणा करने की तारीख

--	--	--	--	--	--

निम्नलिखित वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) (निम्नलिखित टेबल पर दिए गए) नियंत्रण करते हैं या अंशतः नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित है अर्थात् पूंजी/लाभ/संपत्ति या वोटिंग अधिकार द्वारा नियंत्रण, करार, व्यवस्था आदि में 25% (कंपनी)/15% से अधिक (भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय) / 15% या उससे अधिक (न्याय)

(लाभार्थी मालिक की परिभाषा के लिए पृष्ठ 18 देखें)

क्र. सं.	लाभार्थी मालिक/नियंत्रणकर्ता वास्तविक व्यक्ति (व्यक्तियों) का पूरा नाम	जन्म तिथि	राष्ट्रीयता	पता	केवाईसी दस्तावेजों का प्रकार	नियंत्रक स्वामित्व हित %

हम प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त कथन सही है तथा हम वचन देते हैं कि जब भी उपर्युक्त टेबल में दी गई कंपनी, साझेदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्तियों का निकाय तथा न्यास के नियंत्रणकर्ता व्यक्ति या नियंत्रणकर्ता स्वामित्व हित रखनेवाले व्यक्तियों में परिवर्तन होगा हम बिना किसी विलंब के केनरा बैंक को सूचित करेंगे।

कृते एवं (कंपनी, भागीदारी फर्म, अनिगमित एसोसिएशन या व्यक्ति निकाय तथा न्यास के) की तरफ से :

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर* : _____

प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम : _____

पदनाम/स्थिति : _____

दिनांक :

स्थान :

(घोषणा पत्र पर भागीदारी फर्म के मामले में सक्रिय/पदनामित भागीदारी द्वारा, न्यास के प्रकरण में ट्रस्टी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए)

केवल शाखा के उपयोग के लिए

हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त फर्म के लाभार्थी मालिक का अभिनिश्चय उपर्युक्त कंपनी/फर्म/न्यास द्वारा की गई घोषणा के आधार पर किया गया है तथा उपर्युक्त विवरणों को जहां कहीं उपलब्ध है, सार्वजनिक क्षेत्र से सत्यापित किया गया है।

(शाखा प्रबंधक/शाखा परिचालन प्रमुख का हस्ताक्षर)

नाम : _____

एसपी संख्या / स्टाफ संख्या : _____

दिनांक : _____

सामान्य अनुदेश

ख. इकाई संरचना प्रकार खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश

क. 'केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु' खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:

1. खाता प्रकार : केवल एफपीआई श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए सरलीकृत का उपयोग किया जाए ।
2. खाता धारक का प्रकार :

यू एस रिपोर्टेबल (फटका)	अन्य रिपोर्टेबल (फटका के अलावा)
एफ-1-स्वामी-निर्धारित यूएस स्वामी	सी1- निष्क्रिय गैर-वितीय इकाई एक या उससे अधिक निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति का जो कि रिपोर्टेबल व्यक्ति है
प्रलेखित एफआई 1	सी2-अन्य रिपोर्टेबल व्यक्ति
एफ2 - निष्क्रिय गैर-वितीय इकाई बहुल	सी3- निष्क्रिय गैर-वितीय इकाई जो कि सीआरएस रिपोर्टेबल है
यूएस स्वामी सहित	XX-लागू नहीं
एफ3-गैर-प्रतिभागी एफएफआई	
एफ4-निर्दिष्ट यूएस व्यक्ति	
एफ5-प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्टिंग करने वाली एनएफएफआई	
XX-लागू नहीं	

क. एकल स्वामित्व वाली ईकाई	झ. सीमित देयता भागीदारी
ख. साझेदारी फर्म	ट. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
ग. एचयूएफ	ठ. सरकारी क्षेत्र के बैंक
घ. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी	ड. सरकारी विभाग/एजेंसी
ड. पब्लिक लिमिटेड कंपनी	ढ. विदेश संविभाग
च. सोसाइटी	ण. खंड 8 की कंपनियां (कंपनी अधिनियम 2013)
छ. व्यक्तियों का एसोसिएशन (एओपी/व्यक्तियों का निकाय (बीओआई)	त. कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति
ज. न्यास	थ. श्रेणीबद्ध नहीं किया गया
झ. परिसमापक	द. अन्य

ग. इकाई विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:

1. एकल स्वामित्ववाली ईकाई के पैर नंबर नहीं है तो फॉर्म 60 भरें
2. पहचान प्रकार टी-टिन, सी-कंपनी पहचान नंबर, जी-यू एस जी आई आई एन, ई-ग्लोबल इकाई पहचान नंबर (ईआईएन) अ-अन्य
3. कंपनियों के लिए व्यवसाय शुरू करने की तिथि अनिवार्य है, अन्य इकाई लागू हो तो भरें

घ. पहचान का प्रमाण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:

1. सभी संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति, जैसे लागू हो, प्रस्तुत किया जाना है ।
2. विदेशी संविभाग निवेशकों पर लागू केवाईसी दस्तावेज, संबंधित नियामकों द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा ।
3. पृष्ठ 16 (आवश्यक केवाईसी दस्तावेज) में विभिन्न स्वामित्व वाली ईकाईयों के लिए आवश्यक दस्तावेज दिए गए हैं ।

ड. पते का प्रमाण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश :

1. विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी नाम तथा पिन/पोस्ट कोड अनिवार्य नहीं है
2. अनेक पत्राचार/स्थानीय पते के प्रकरण में कृपया अनुबंध 3 भरें

च. संपर्क विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश :

1. कृपया द्विअक्षरीय देश कोड और 10 संख्या वाला मोबाइल नंबर भरें (उदाहरण के लिए भारतीय मोबाइल नंबर - 91-9999999999)
2. मोबाइल नंबर के आगे 0 नहीं लगाएं

साझेदारी फर्म

छ. निर्यंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति विवरण खंड भरने के लिए स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश:

- i. **हरेक निर्यंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति/लाभार्थी स्वामी के लिए अनुलग्नक (ए 11) भरें**

ii. निजी विवरण

1. नाम : कृपया संबोधन सहित नाम लिखें (श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ./आदि) नाम, पहचान के प्रमाण से मेल खानी चाहिए अन्यथा आवेदन को लौटाया जा सकता है
2. पिता या पति/पत्नी का नाम अनिवार्य है । पैर नहीं है तो पिता का नाम अनिवार्य है

iii. कर भरने के लिए भारत के बाहर का निवासी के मामले में

1. अनुबंध 3 में बहु कर आवासी के विवरण भरने का प्रवधान है
2. टीआईएन कार्यक्षेत्र द्वारा जारी नहीं किया गया है तो टिन का उल्लेख करने की जरूरत नहीं । यद्यपि, उक्त कार्यक्षेत्र द्वारा पहचान करने के लिए पहचानने योग्य उच्च इंटरनेट नंबर हो तो रिपोर्ट किया जा सकता है सामाजिक सुरक्षा/बीमा नंबर/नागरिक/निजी पहचान/सेवा कोड/नंबर तथा निवासी पंजीकरण नंबर ।

iv. पहचान का प्रमाण (पीओआई)

1. ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट यदि पहचान के सन्तुष्ट के प्रमाण में दिया जाता है तो अनिवार्य रूप से उसकी वैधता समाप्त की तिथि भी दी जाए ।
2. यदि द-अन्य (केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई दस्तावेज) के सामने चिह्न लगाया गया है तो पहचान/संदर्भ संख्या का प्रमाण ।

v. पते का प्रमाण (पीओए)

1. पते का प्रमाण केवल उस प्रकरण में प्रस्तुत करें यदि पहचान के प्रमाण पर पता न हो या पहचान के प्रमाण का पता वैध नहीं हो या लागू नहीं हो ।
2. विदेशी पते के लिए राज्य/यूटी नाम तथा पिन/पोस्ट कोड देना अनिवार्य नहीं है ।

vi. निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति के लिए खंड 1 क भरें और संबंधित व्यक्ति के लिए खंड 1 ख भरें ।

vii. निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति के विवरण की तथी आवश्यकता होगी जबकि आयकर नियमों के अनुसार विधिक इकाई, निष्क्रिय गैर- वितीय इकाई है ।

viii यदि संबंधित या निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति के केवाईसी नंबर उपलब्ध है तो केवल व्यक्ति का प्रकार और निर्यंत्रणकर्ता/संबंधित व्यक्ति का नाम दिया जाए । "निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति" का तात्पर्य वास्तविक व्यक्ति से है, जो कि इकाई का निर्यंत्रण करता है तथा धन शोधन निवारण अधिनियम (अभिलेखों का खरखाब) 2005 के नियम 9 के उप नियम (3) के अनुसार निर्धारित लाभार्थी स्वामी को भी शामिल करता है । स्पष्टीकरण 1 लाभार्थी स्वामी का अभिनिरचय करने हेतु समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित परिपत्रों में निर्धारित कार्यविधि अपनाई जाएगी, यथा

- i) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 18 जनवरी 2013 का परिपत्र क्र. डीबीओडी/एमएल/बीसी क्र. 71 / 14.01.001 / 2012-13
- ii) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जारी दिनांक 24 जनवरी 2013 का परिपत्र सीआईआर/एमआईआरएसडी/2/2013
- iii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 4 फरवरी 2013 को जारी परिपत्र क्र आईआरडीए / एसडीडी / जीडीएल / सीआईआर / 019/02/2013

स्पष्टीकरण 2

न्यास के प्रकरण में निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति का तात्पर्य - व्यवस्थापनकर्ता (सेटलर), ट्रस्टीगण, संरक्षक (यदि कोई है तो), लाभार्थी या लाभार्थी समूह तथा कोई भी वास्तविक व्यक्ति जिसका न्यास पर प्रभावी निर्यंत्रण है तथा न्यास के अलावा अन्य विधिक व्यवस्था के प्रकरण में, उसका तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो कि समान स्थिति का है ।

विधिक इकाई का प्रकार	निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति (सीपी) का प्रकार	लागू मद
एकल स्वामित्व	एकल स्वामी	निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक नहीं
हिंदू अविभाजित परिवार	● कर्ता	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य सेटलर:या
	● प्रत्येक सहदायिक (को पारस्रर)	सी-10 विधिक व्यवस्था के अनुसार निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति अन्य न्यासी समान
		12-विधिक व्यवस्था के अनुसार निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति-अन्य-लाभार्थी समान
भागीदारी	● स्वामित्व	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	● अन्य साधन	सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	● वरिष्ठ प्रबंधन पदधारी	सी-03 विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन / पदधारी
कंपनी	● स्वामित्व	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	● अन्य साधन	सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	● वरिष्ठ प्रबंध पदधारी	सी03-विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन /पदधारी
सोसाइटी	● स्वामित्व	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	● अन्य साधन	सी02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	● वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारी	सी03-विधिक व्यक्ति का सीपी-वरिष्ठ प्रबंधन/पदधारी
एओपी/बीओआई	● सदस्य (स्वामी)	सी01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	● व्यवस्थापनकर्ता के समान	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी- संरक्षक के समान अन्य-सेटलर के समान
	● न्यासी के समान	सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-ट्रस्टी के समान
	● संरक्षक के समान	सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य संरक्षक के समान
	● लाभार्थी के समान	सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-लाभार्थी के समान
	● अन्य	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी अन्य-अन्य के समान
न्यास	● व्यवस्थापनकर्ता	सी04-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-न्यास-सेटलर
	● न्यासी	सी05-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-न्यासी
	● संरक्षक	सी-06-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-संरक्षक
	● अन्य	सी-07-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-लाभार्थी
		सी-09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी न्यास-अन्य
परिसमापक		निर्यंत्रणकर्ता व्यक्ति आवश्यक लागू नहीं
सीमित देयता भागीदारी	● साझेदारी (स्वामित्व)	सी-01-विधिक व्यक्ति का सीपी-स्वामित्व
	● अन्य साधन	सी-02-विधिक व्यक्ति का सीपी-अन्य साधन
	● वरिष्ठ प्रबंध पदधारी	सी03-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी वरिष्ठ प्रबंध पदधारी
कृत्रिम विधिक व्यक्ति	● व्यवस्थापनकर्ता के समान	सी09-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य ट्रस्टीसेटलर के समान
	● न्यासी	सी10-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-लाभार्थीअन्य-ट्रस्टी के समान
	● संरक्षक	सी11-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-संरक्षक के समान
	● लाभार्थी	सी12-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य - लाभार्थी के समान
	● अन्य	सी13-विधिक व्यवस्था के अनुसार सीपी-अन्य-अन्य के समान

ज.	निष्क्रिय गैर-वित्तीय संस्था : इससे आशय इनसे है- - कोई भी ऐसी गैर-वित्तीय संस्था जो सक्रिय गैर-वित्तीय संस्था नहीं है, या । - कोई भी ऐसी निवेश संस्था जिसकी कुल आय मुख्य रूप से वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आती हो, यदि इस संस्था का प्रबंध किसी अन्य संस्था द्वारा किया जाता है, तो वह निक्षेपागार संस्था, अभिरक्षा संस्था, विनिर्दिष्ट बीमा कंपनी अथवा नीचे के नोट में उल्लिखित निवेश संस्था हो । - जो विदेशी लिडिंग फॉरेन पार्टनरशिप अथवा विदेशी लिडिंग फॉरेन ट्रस्ट न हो । ('विदेशी लिडिंग फॉरेन पार्टनरशिप' का आशय ऐसी विदेशी साझेदारी से है, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ विदेशी लिडिंग करार किया है, जिसमें अपने साझेदारों, लाभार्थियों अथवा मालिकों को सभी भुगतान करने हेतु प्राथमिक विदेशी लिडिंग जिम्मेदारी लेने के लिए वह सहमत हो । ध्यान दें : - कोई भी ऐसी संस्था जो व्यवसाय के तौर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ अथवा परिचालन ग्राहक के लिए अथवा उसकी ओर से करती है, या - मुद्रा बाजार लिखतों (चेक, बिल, जमा प्रमाणपत्र, व्युत्पन्न आदि); विदेशी मुद्रा, विनिमय, ब्याज दर एवं प्रमुख लिखत: अंतरणीय प्रतिभूतियों अथवा पण्य भावी सौदों का व्यापार करती है: - वैयक्तिक एवं सामूहिक संविभाग प्रबंधन; अथवा - अन्य व्यक्तियों की ओर से अन्य निवेश, एडमिनिस्ट्रिंग अथवा वित्तीय आस्तियों अथवा मुद्रा का प्रबंधन । स्पष्टीकरण 1 : ऊपर 1 में बताई गई गतिविधियों में से एक अथवा एक से अधिक गतिविधियाँ करने अथवा निवेश संस्था अर्थात् निष्क्रिय संस्था के प्रयोजनों से किसी संस्था की कुल आय मूलतया वित्तीय आस्तियों में निवेश, पुनर्निवेश अथवा व्यापार से आने, यदि संस्था कुल आय (i) संकल्प किए जाने के पूर्व वर्ष के 31 मार्च को समाप्त तीन वर्ष की अवधि अथवा (ii) संस्था के अस्तित्व में होने की अवधि के दौरान की कुल आय के 50% के बराबर अथवा उससे अधिक होने पर किसी संस्था को व्यवसाय करने वाली संस्था माना जाएगा । स्पष्टीकरण 2 : "निवेश संस्था" शब्द में सक्रिय गैर-वित्तीय संस्था शामिल नहीं है, क्योंकि वह नियम 114 च के खंड (6) के स्पष्टीकरण के खंड (क) के उप-खंड (iv), (v), (vi) अथवा (vii) के किसी मानदंड को पूरा करती है । (1) लाभांश; (2) ब्याज; (3) ब्याज के बराबर की आय; (4) किराया एवं रॉयल्टी (गैर-वित्तीय संस्था के कर्मचारियों द्वारा सक्रिय रूप से किए गए व्यवसाय से आशिक रूप से प्राप्त किराया एवं रॉयल्टी से भिन्न); (5) वार्षिकी (6) वित्तीय आस्तियों की बिक्री अथवा विनिमय की हानियों की तुलना में अतिरिक्त लाभ जिससे पैसिव आय बढ़ती है (फ्यूचर्स, वायदा, ऑपशंस एवं इस प्रकार के लेनदेन सहित) (7) वित्तीय आस्तियों के लेनदेन में विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में हुए विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (8) विदेशी मुद्रा हानियों की तुलना में विदेशी मुद्रा के अतिरिक्त लाभ (9) अदल-बदली से प्राप्त निवल आय अथवा (10) नकद मूल्य के बीमा टेकों से प्राप्त राशियाँ, निष्क्रिय आय में शामिल है । वित्तीयों बशर्ते के व्यापार के रूप में निमित्त रूप से कार्य करने वाली गैर-वित्तीय संस्था के मामले में डीलर के रूप में ऐसे व्यापार की सामान्य अवधि में किए गए किसी भी लेनदेन से प्राप्त आय निष्क्रिय आय में शामिल नहीं होगी । संबद्ध संस्था-अन्य किसी संस्था की संबद्ध संस्था होती है, यदि वह अन्य संस्था का नियंत्रण करती है अथवा दोनों संस्थाएं एक ही नियंत्रण में आती है । स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजन से नियंत्रण में किसी संस्था के 50 प्रतिशत से भी अधिक मत और मूल्य का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व का नियंत्रण भी शामिल है ।	
	सक्रिय एनएफई निम्नलिखित में से कोई एक है - पिछले वित्तीय वर्ष में इकाई की सकल आय पचास प्रतिशत से कम होने पर वह निष्क्रिय आय है और इकाई के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में पचास प्रतिशत से कम आस्तियों के धारिता की स्थिति में इकाई को निष्क्रिय आय उत्पन्न करने वाला माना जाएगा; या - इकाई के स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्कोरिटी मार्केट में खरीद-बिक्री किए जाते हैं या गैर-वित्तीय इकाई इस इकाई से संबंधित हो जिसके स्टॉक नियमित रूप से स्थापित सिक्कोरिटी मार्केट में खरीद बिक्री किए जाते हैं । स्पष्टीकरण - इस उप-धारा के उद्देश्य से स्थापित सिक्कोरिटी मार्केट का आशय ऐसे एक्चेंज से है जिसकी सरकारी प्राधिकारियों द्वारा देखरेख की जाती है जहां यह स्थित है और जहां अर्थपूर्ण वार्षिक मूल्य की ट्रेडिंग होती हो - इकाई सरकारी इकाई है या अंतरराष्ट्रीय संस्था है या केंद्रीय बैंक या पूर्ववर्ती के द्वारा या एक से अधिक पूर्णतः स्वामित्व वाली एक - काफी हद तक इकाई की गतिविधियाँ वकालत स्टॉक रचना (पूर्णतः या अंशतः) या वित्तीय सेवा प्रदान करने के व्यवसाय के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय में संलग्न सहयोगी कंपनियों को वित्तीय सहायता बशर्ते कि इकाई के विषय में यह प्रमाणित नहीं होना चाहिए कि वह निवेश निधि नहीं जैसे प्राइवेट इक्विटी फंड, वेंचर कैपिटल फंड, लेवरेज बाय आउट फंड या अन्य कोई निवेश संस्था जिसका उद्देश्य कंपनी का अधिग्रहण या फंड करना और फिर पूंजी निवेश के उद्देश्य से उसका अधिग्रहण करना न हो; या - इकाई अभी परिचालन नहीं कर रही है और इसके परिचालन का कोई इतिहास भी नहीं है किंतु आस्तियों में इस उद्देश्य से पूंजी निवेश कर रही है कि वित्तीय कंपनी के अतिरिक्त अन्य कंपनी का परिचालन कर सके बशर्ते कि कंपनी गठन के चौबीस महीनों के बाद इस अपवाद के अंतर्गत न हो या - इकाई पिछले पांच वर्षों में वित्तीय इकाई न हो और अपनी आस्तियों को लिक्विडेट करने की प्रक्रिया में हो या पुनर्गठन कर रहा हो ताकि वित्तीय इकाई से इतर व्यवसाय जारी रख सके या - इकाई प्रामाणिक रूप से ऐसे संस्थान के लिए वित्तीय या हेजिंग ट्रांजेक्शन या संबंधित इकाइयों के लिए जो वित्तीय इकाइयों नहीं है और किसी भी इकाई के लिए वित्तीय या हेजिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं कराता है बशर्ते कि इकाई प्राथमिक रूप से वित्तीय सेवाओं से इतर व्यवसाय से संबंधित हो - इकाई निम्नलिखित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, जिनके नाम हैं - यह धार्मिक, चैरिटेबल, वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक, खेल-कूद या शिक्षण से संबंधित उद्देश्यों से भारत में स्थापित और परिचालित इकाई हो या यह प्रोफेशनल संस्थान, बिजनेस लीग, चेंबर ऑफ कॉमर्स, श्रम संगठन, कृषि या बागवानी संस्थान, सार्वजनिक लीग या केवल सामाजिक कल्याण के कार्यों में संलग्न भारत में स्थापित और परिचालित संस्था हो; - यह भारत में आयकर से छूट प्राप्त हो - इसमें कोई ऐसा शोयरधारक या सदस्य न हो जिसका इसमें प्रोपराइटी या आस्तियों की आय में रुचि हो - इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज इकाई के किसी आय या आस्तियों को वितरण या किसी निजी व्यक्ति या गैर-चैरिटी संस्था को लाभ, जो संस्था के चैरिटी के कार्यों से इतर हो या सेवाओं के बदले बाजार कीमतों पर भुगतान की अनुमति न देता हो जिसे इकाई ने खरीदा हो - इकाई के देश के लागू कानून या निवास का क्षेत्र या गठन दस्तावेज यह घोषित करता हो कि संस्था लिक्विडेशन या डिसेल्यूशन के बाद इसकी समस्त आस्तियां सरकारी संस्था या अलाभकारी संस्था या सरकार के स्वामित्व वाली इकाई के क्षेत्राधिकार या किसी राजनीतिक इकाई को दी जाएगी स्पष्टीकरण - उप-धारा के लिए निम्नलिखित को संबंधित उप-धारा के मानदंडों को पूरा करने वाला माना जाए । - धारा (23 ईए) में उल्लिखित निवेशक संरक्षक फंड - लघु उद्योगों के क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए उल्लिखित धारा 23 ईबी और - अधिनियम की धारा 10 के उप धारा (23 ईसी) के अंतर्गत निवेशक संरक्षक फंड	
ज	संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति इनमें से कोई भी हो सकता है । - संयुक्त राज्य का नागरिक अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका का कर निवासी; अथवा - साझेदारी या व्यापारी संघ जो संयुक्त राज्य अमेरिका में संयोजित है या संयुक्त राज्य अमेरिका उसके किसी भी राज्य के कानून के तहत संयोजित किया जाता है; या - ट्रस्ट (1) जहां संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर एक अदालत को लागू कानून के तहत अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित सभी मुद्दों या आदेशों के बारे में पर्याप्त निर्णय दे या (3) एक या अधिक संयुक्त राज्य के व्यक्ति के पास सभी पर्याप्त निर्णयों को नियंत्रित करने का ट्रस्ट के अधिकार है, या - मृतक की संपत्ति जो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक नागरिक या निवासी है	
ट	संयुक्त राज्य का निर्दिष्ट व्यक्ति - संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यक्ति जो निम्न के अतिरिक्त है - ऐसे व्यापार संघ का स्टॉक जिसका कारोबार नियमित रूप से एक या अधिक स्थापित प्रतिभूति बाजारों में किया जाता है - कोई भी व्यापार संघ जो एक ही विस्तारित संबद्ध समूह का सदस्य है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 1471 (ई) (2) में परिभाषित है, जैसा खंड (क) में व्यापार संघ वर्णित है । - संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या उसके साधन - संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई भी राज्य कोई भी संयुक्त राज्य क्षेत्र, किसी भी पूर्वगामी के किसी भी राजनीतिक उपविभाजन, या किसी पूर्ण स्वामित्व वाली एजेंसी या पूर्वगामी के किसी एक या अधिक साधन - कोई भी संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 501 (ए) या व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति योजना के तहत छूट देता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 7701 (ए) (37) में परिभाषित किया गया है । - किसी भी बैंक को जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 581 में परिभाषित किया गया है - संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व संहिता की धारा 856 में परिभाषित कोई भी रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट - कोई भी ट्रस्ट जो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड की धारा 664 (सी) के तहत कर से मुक्त है या जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 4947 (क) (1) में वर्णित है । - प्रतिभूतियों, कमोडिटी या डिरीवेटिव वित्तीय साधनों (जिसमें प्रमुख प्रिंसिपल अनुबंध, वायदा, आगे और विकल्प शामिल हैं) का डीलर जो संयुक्त राज्य या किसी राज्य के कानूनों के तहत पंजीकृत है; - एक दलाल जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका आंतरिक राजस्व कोड की धारा 6045 (सी) में परिभाषित किया गया है - किसी भी कर - मुक्त ट्रस्ट को जिसे योजना के तहत छूट दी गई है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक राजस्व कोड को धारा 403(बी) या धारा 457(जी) में वर्णित है ।	
ठ	प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई का अर्थ होगा एनएफएफई जो प्रत्यक्ष राज्य को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के मालिक के बारे में निश्चित जानकारी आईआरएस को रिपोर्ट करने का चुनाव करता है, इसके बदले में वित्तीय संस्था को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके पास एनएफएफई वित्तीय खाता रखता है । प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनआईआईएन प्राप्त करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आईआरएस के साथ पंजीकृत करता है । इस तरह की प्रत्यक्ष रिपोर्टिंग एनएफएफई को नियम 114 एफ से 114 एच के तहत सूचित किया जाना आवश्यक है	

देश (कंट्री) कोड (आईएसओ 3166)

देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड	देश	देश कोड
अफगानिस्तान	एएफ	डॉमिनिकेन रिपब्लिक	डीओ	लीबिया	एलवाई	सेंट लूसिया	एलसी
अलंद आइसलैंड	एएक्स	इक्वाडोर	ईसी	लिचटेन्स्टीन	एलआई	सेंट मार्टिन (फ्रेंच पार्ट)	एमएफ
अल्बानिया	एएल	इजिप्ट	ईजी	लिथुआनिया	एलटी	सेंट पियरे एंड मिकलन	पीएम
अल्जीरिया	डीजेड	ईआई साल्वाडोर	एसवी	लक्जमबर्ग	एलयू	सेंट विन्सेंट एंड द ग्रनेडाईस	वीसी
अमेरिकन समोआ	एसएस	इक्वेटोरियल गयाना	जीक्यू	मकाऊ	एमओ	समोआ	डब्ल्यूएस
एंडोरा	एडी	एस्टोनिया	ईआई	मेसेडोनिया, द फॉर्मर यूसोस्लाव		सैन मैरीनो	एसएम
अंगोला	एओ	इथोपिया	ईटी	रिपब्लिक ऑफ	एमके	साओ टॉम एंड प्रिंसिप	एसटी
अंगुल्ला	एआई	फॉकलैंड्स आइसलैंड्स (मालविनास)	एफके	मेडागास्कर	एमजी	सउदी अरब	एसए
अंटार्कटिका	एक्यू	फेरो आइसलैंड्स	एफओ	मालावी	एमडब्ल्यू	सेनेगल	एसनएन
एंटीगुआ एंड बरबुदा	एजी	फिजी	एफजे	मलेशिया	एमवाई	सर्बिया	आरएस
अर्जेंटीना	एआर	फिनलैंड	एफआई	मालदीव्स	एमवी	सेशेल्स	एससी
अर्मेनिया	एमएम	फ्रांस	एफआर	माली	एमएल	सियरा लियोन	एसएल
अरुबा	एडब्ल्यू	फ्रेंच गुयाना	जीएफ	माल्टा	एमटी	सिंगापुर	एसजी
ऑस्ट्रेलिया	एयू	फ्रेंच पोलिनेशिया	पीएफ	मार्शल आइसलैंड्स	एमएच	सिंट मार्टिन (डच पार्ट)	एसएक्स
आस्ट्रिया	एटी	फ्रेंच सदर्न टेरिटोरीज	टीएफ	मार्टिनिक	एमक्यू	स्लोवाकिया	एसके
अजेर्बैजान	एजेड	गैबॉन	जीए	मॉरीटानिया	एमआर	स्लोवेनिया	एसआई
बहामास	बीएस	गांभिया	जीएम	मॉरीशस	एमयू	सोलोमन आइलैंड्स	एसबी
बहरीन	बीएच	जॉर्जिया	जीई	मेयोटा	वाईटी	सोमालिया	एसओ
बंगलादेश	बीडी	जर्मनी	डीई	मैक्सिको	एमएक्स	साउथ अफ्रीका	जेसए
बरबादोस	बीबी	घाना	जीएच	माइक्रोनेशिया फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ	एफ एम	साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ	
बेलारुस	बीवाई	जिब्राल्टार	जीआई	मोलडोवा, रिपब्लिक ऑफ	एमडी	सेंटविक आइलैंड्स	जीएस
बेल्जियम	बीई	ग्रीस	जीआर	मोनेको	एमसी	साउथ सुडान	एसएस
बेलीज	बीजेड	ग्रीनलैंड	जीएल	मंगोलिया	एमएन	स्पेन	ईएस
बेनिन	बीजे	ग्रेनेडा	जीडी	मोन्टेनेग्रो	एमई	श्रीलंका	एलके
बरमुडा	बीएम	गुआडेलोप	जीपी	मोन्टेसेरट	एमएस	सुडान	एसडी
भूटान	बीटी	ग्वाम	जीयू	मोरक्को	एमए	सुरिनाम	एसआर
बोलीविया, प्यूरिशेशनल स्टेट ऑफ	बीओ	ग्वाटेमाला	जीटी	मोजाम्बिक	एमजेड	सवलबाड एंड जन मेयन	एसजे
बोनायर सिंट इस्टेट्स एंड साबा	बीक्यू	गर्नसे	जीजी	म्यानमार	एमएम	स्वाजीलैंड	एसजेड
बोस्निया एंड हर्जगोविना	बीए	गुएनिगा	जीएन	नामीबिया	एनए	स्वीडेन	एसई
बोत्सवाना	बीडब्ल्यू	ग्रेनिया-बिसाऊ	जीडब्ल्यू	नारै	एनआर	रिवटजरलैंड	सीएच
बौवेट आइसलैंड्स	बीवी	गुयाना	जीवाई	नेपाल	एनपी	सीरियन अरब रिपब्लिक	एसवाई
ब्राजील	बीआर	हैती	एचटी	नीदरलैंड्स	एनएल	ताइवान, प्रॉविन्स आफ चाइना	टीडब्ल्यू
ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी	आईओ	हार्डआइसलैंड एंड मैकडोनाल्ड आइलैंड	एचएम	न्यू कैलीडोनिया	एनसी	तजाकिस्तान	टीजे
ब्रुनेल दारुसलाम	बीएन	होल्ली सी (वेटिकन सिटी स्टेट)	वीए	न्युजीलैंड	एनजेड	तंजानिया, युनाइटेड रिपब्लिक ऑफ	टीजेड
बुल्गारिया	बीजी	होन्डुरस	एचएन	निकारागुआ	एन आई	थाइलैंड	टीएच
बुरुंडी	बीआई	हंगरी	एचयू	निगेर	एनई	टीमोर-लेस्ते	टीएल
काबो वर्दे	सीवी	आइसलैंड	आईएस	नाइजीरिया	एनजी	टोगो	टीजी
कम्बोडिया	केएच	इंडिया	आईएन	नियुइ	एनई	टोकेलाऊ	टीके
कैमरून	सीएम	इंडोनेशिया	आईडी	नॉरफोल्क	एनएफ	टोंगा	टीओ
कनाडा	सीए	ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ	आईआर	आइलैंड	आए एल	त्रिनिदाद एंड टोबैगो	टीटी
कैमन आइसलैंड्स	केवाई	इराक	आईक्यू	नॉर्डन मैरियाना आइलैंड्स	एमपी	ट्यूनीशिया	टीएन
सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक	सीएफ	आयरलैंड	आईई	नॉर्वे	एनओ	टर्की	टीआर
चाड	टीडी	आइल ऑफ मैन	आईएम	ओमान	ओएम	तुर्कमिनिस्तान	टीएम
चिली	सीएल	इसरायल	आईएल	पाकिस्तान	पीके	तुर्कस एंड कालकोसा आइलैंड्स	टीसी
चीन	सीएन	इटली	आईटी	पलाऊ	पीडब्ल्यू	टुवालू	टीवी
क्रिसमस आइसलैंड्स	सीएक्स	जमाइका	जेएम	फिलिस्तीन, स्टेट ऑफ	पीएस	युगानडा	यूजी
कोकोस (कीलिंग) आइलैंड्स	सीसी	जापान	जेपी	पनामा	पीए	युक्रेन	यूए
कोलम्बिया	सीओ	जर्सी	जेई	पपुआ न्यू गुयाना	पीजी	युनाइटेड अरब अमीरात	एई
कोमोरोस	केएम	जॉर्डन	जेओ	प्राग्वे	पीवाई	युनाइटेड किंगडम	जीबी
कांगो	सीजी	कजाकिस्तान	केजेड	पेरु	पीई	युनाइटेड स्टेट्स	यूएस
कांगो, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द	सीडी	केन्या	केई	फिलीपींस	पीएच	आउटलाईंग आइलैंड्स	यूएम
कुक आइसलैंड्स	सीके	किरिबाटी	केआई	पिटकेयर्न	पीएन	उरुग्वे	यूवाई
कोस्टा रिका	सीआर	कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपल्स		पोलैंड	पीएल	उजबेकिस्तान	यूजेड
कोटडिव्वायर/कोटडिव्वायर	सीआई	रिपब्लिक ऑफ	केपी	पुर्तगाल	पीटी	वनेजुएला, बोलीवैरियन	वीयू
क्रोएशिया	एचआर	कोरिया, रिपब्लिक ऑफ	केआर	पियोरटो रिको	पीआर	रिपब्लिक ऑफ	वीई
क्यूबा	सीयू	कुवैत	केडब्ल्यू	कतर	क्यूए	विएत नाम	वीएन
कुराकाओ !	सीडब्ल्यू	किरगिस्तान	केजी	रीयूनियन ! रीयूनियन	आरई	विरजिन आइलैंड्स, ब्रिटिश	वीजी
साइप्रस	सीवाई	लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक	एलए	रोमानिया	आरओ	विरजिन आइलैंड्स, यू.एस.	वीआई
चेक रिपब्लिक	सीजेड	लाताविया	एलवी	रशियन फेडरेशन	आरयू	वालिस एंड फुटुना	डब्ल्यूएफ
डेनमार्क	डीके	लेबनान	एलबी	रवान्डा	आरडब्ल्यू	वेस्टर्न सहारा	ईएच
जिबुती	डीजे	लेसोथो	एलएस	सेंट बारथेलेमी सेंट बारथेलेमी	बीएल	यमन	वाईई
डोमिनिका	डीएम	लिबेरिया	एलआर	सेंट हेलेना, एसीनेशन		ज़ाम्बिया	जेडएम
				एंड ट्रिस्टान डा कुनहा	एसएच	जिम्बाबवे	जेडडब्ल्यू
				सेंट किट्स एंड नेविस	केएन		

प्रदेश कोड

भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार दो अक्षरों वाले राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदेश कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदेश कोड	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रदेश कोड
अंडमान व निकोबार	एएन	हरियाणा	एचआर	ओडिशा	ओआर
आंध्रप्रदेश	एपी	हिमाचल प्रदेश	एचपी	पाण्डिचेरी	पीवाई
अरुणाचल प्रदेश	एआर	जम्मू व कश्मीर	जेके	पंजाब	पीबी
असम	एसएस	झारखंड	जेएच	राजस्थान	आरजे
बिहार	बीआर	कर्नाटक	केए	सिक्किम	एसके
चंडीगढ़	सीएच	केरल	केएल	तमिलनाडु	टीएन
छत्तीसगढ़	सीजी	लक्षद्वीप	एलडी	तेलंगाना	टीएस
दादर व नगर हवेली	डीएन	मध्य प्रदेश	एमपी	त्रिपुरा	टीआर
दमन व दीव	डीडी	महाराष्ट्र	एमएच	उत्तर प्रदेश	यूपी
दिल्ली	डीएल	मणिपुर	एमएम	उत्तराखंड	यूए
गोवा	जीए	मेघालय	एमएल	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबी
गुजरात	जीजे	मिजोरम	एमजेड	अन्य	XX
		नागालैंड	एनएल		

चालू खाता खोलने के लिए अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज :

क्र.	इकाई का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
1.	स्वामित्व	- निम्नलिखित दस्तावेजों की सूची में से स्वामित्व संस्था के नाम से जारी कम से कम 2 दस्तावेज तथा हितधिकारी स्वामी के रूप में स्वत्वधारी का पैन अथवा फार्म 16 (अनुलग्नक-2) प्राप्त किया जाना चाहिए। यदि स्वायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए। - प्रतिष्ठान का नाम, पता एवं गतिविधि का प्रमाण, जैसे - पंजीकरण प्रमाणपत्र (पंजीकृत संस्था होने की स्थिति में) - दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका द्वारा जारी प्रमाणपत्र / लाइसेंस - विक्रय एवं आय कर विवरणी - जीएसटी/सीएसटी प्रमाणपत्र, विक्रय कर/सेवा कर/व्यावसायिक कर प्राधिकारियों के द्वारा जारी प्रमाणपत्र/पंजीकरण दस्तावेज - संस्थि के अंतर्गत स्थापित किसी व्यावसायिक निकाय के द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी लाइसेंस/गतिविधि प्रमाणपत्र (अर्थात-भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आदि द्वारा जारी कार्यकलाप प्रमाणपत्र) - महानिदेशक, विदेश व्यापार कार्यालय (डीजीएफटी) के द्वारा स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से जारी आईईसी (आयातक/निर्यातक कूट) - प्रतिष्ठान के एकल स्वामी के नाम से तथा आय कर प्राधिकारियों के द्वारा विधिवत प्रमाणित / अभिस्वीकृत, संपूर्ण आय कर विवरणी (केवल पावती नहीं) जिसमें प्रतिष्ठान की आय भी प्रदर्शित हो। - स्वामित्व प्रतिष्ठान के नाम से यूटिलिटी बिल, जैसे- बिजली, पानी, लैंडलाइन टेलिफोन बिल
2.	साझेदारी फर्म	- पंजीकरण प्रमाणपत्र (यदि फर्म पंजीकृत है तो / पंजीकृत फर्म हेतु लागू)। - साझेदारी विलेख विनांकित.....। - साझेदारी फर्म/भागीदारी फर्म का पैन कार्ड। (क) फर्म के निमित्त जिसके नाम पीओए (मुखतारनामा) जारी किया गया है ऐसे व्यक्ति की स्वायी खाता संख्या (पैन) या फार्म क्र. 60 या अगर उसके नाम का स्वायी खाता संख्या (पैन) या फॉर्म क्र. 60 या अगर उसके नाम का स्वायी खाता संख्या (पैन) उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में आधिकारिक तौर पर मान्य कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अन्य दस्तावेज : - अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र जिसमें सभी लाभकारी स्वामित्व वाले व्यक्तियों का नाम, उनकी शेअर धारिता, नियंत्रक हित तथा दावेदारी का ब्योरा शामिल हो। - खाता खोलने के प्रारंभ में साझेदारी खाते के संचालन के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख। (जैसे कि सभी भागीदार संयुक्त रूप से/अलग-अलग (अकेले) / भागीदार 1 और 2 संयुक्त रूप से / अलग-अलग (अकेले), इत्यादि। - सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित भागीदारी पत्र (कोस 37) क्र. ...दिनांकित....(सभी भागीदारी फर्म हेतु अनिवार्य) - मुखतारनामा धारकों के पते। - फर्म को खाता संचालन हेतु, फर्म की ओर से उसके भागीदार या कर्मचारी को दिया गया मुखतारनामा। - सभी भागीदारों / लाभान्वित स्वामित्व धारकों की पैन संख्या अनुबंध - 2 पर अलग-अलग प्राप्ति सुनिश्चित करें।
3.	लिमिटेड कंपनियां	- दिनांक का निगमन प्रमाणपत्र (निरीक्षण एवं वापस करने हेतु)। उसकी एक प्रति रख ली गई है; - दिनांक को पंजीकृत संस्था के वहिर्नियम तथा दिनांक को पंजीकृत संस्था के अंतर्नियम प्राप्त किए जाए। - निदेशक मंडल से संकल्प तथा उसके प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को उसकी ओर से लेनदेन करने हेतु मुखतारनामा, तथा (क) पैन अथवा कंपनी की ओर से लेनदेन करने हेतु अटर्नी प्राप्त प्रबंधकों, अधिकारियों अथवा कर्मचारियों को जारी किया गया फार्म 60 अथवा स्वायी खाता क्रमांक प्रस्तुत न किए जाने पर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा। अन्य दस्तावेज - घोषणा जिसमें सभी लाभार्थी मालिकों की शेयरधारिता/नियंत्रक हित उनके नाम हों, जो प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित हो। (अनुबंध - 4) - व्यवसाय शुरू होने का प्रमाणपत्र (पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मामले में) - सीआईएन क्रमांक - कंपनी के पैन की प्रति - वर्तमान पते का प्रमाण - कोई भी आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज/उन लोगों की पहचान, जिन्हें मुखतारनामा के अनुसार खाते का परिचालन करने का प्राधिकार है (जैसा कि वैयक्तिक खातों पर लागू है) तथा खाते का परिचालन करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों एवं लाभार्थी मालिकों के केवाईसी विवरण। - संयुक्त पूंजी कंपनियों के रजिस्ट्रार से इस आशय का, दिनांक का प्रमाणपत्र कि कंपनी व्यवसाय करने के लिए पात्र है (निरीक्षण, मुखतारनामा रजिस्टर में दर्ज करने और वापस करने के लिए)। इसकी एक प्रति रख ली जाए। (यह प्रमाणपत्र तब आवश्यक नहीं होगा, जब) क. कंपनी निजी कंपनी हो, ख. कंपनी का पंजीकरण वर्ष 1913 से पहले किया गया हो और वह शेयरों के अधिदान हेतु जनता को आमंत्रित नहीं करता हो। ग. कंपनी गारंटी से सीमित है और उसके पास शेयर पूंजी नहीं है। - निम्नलिखित तर्ज पर खाते का परिचालन करने वाले दिनांक के संकल्प की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर ली गई:- हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल का निम्नलिखित संकल्प दिनांक को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित किया गया। तथा इसे उक्त कंपनी की कार्यवृत्त पुस्तिका में विधिवत दर्ज किया गया:- “यह संकल्प लिया गया कि कंपनी का बैंक खाता केनरा बैंक में कोला जाए और द्वारा कंपनी के ओर से आहरित/स्वीकृत/तैयार किए गए चेक, विनिमय बिल एवं वचन पत्र स्वीकार करने और खाते के संबंध में दिए गए किसी भी अनुदेश पर कार्रवाई करने की गई हो अथवा नहीं, अथवा वह कंपनी के लेनदेनों से संबद्ध हो या नहीं। ह./- अध्यक्ष ह./- निदेशक ह./- सचिव - अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/सभी संबद्ध व्यक्तियों अथवा लाभार्थी मालिकों के मुख्य प्रवर्तक/सचिव आदि के पैन, प्रत्येक लाभार्थी मालिक के लिए अलग अनुबंध - 2 प्राप्त किया जाना चाहिए।
4.	सोसाइटी/ एसोसिएशन/क्लब	जो केवाईसी दस्तावेज अनिवारित एसोसिएशन अथवा एकल व्यक्तियों के समूह हेतु लागू होते हैं। पैन कार्ड की कॉपी या संस्था का फार्म 60। - दिनांक को पंजीकृत मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी और दिनांक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन - खाता संचालन हेतु निदेशक मंडल का प्रस्ताव - खाता संचालन हेतु सोसाइटी का खाता संचालन हेतु मुखतारनामा दिनांक तथा प्रस्ताव दिनांक - सरकारी/सैन्य आदेश दिनांक प्राप्त किया (जहाँ लागू हो) - अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/निदेशक/ सचिव आदि अथवा सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा सभी लाभप्रद स्वामियों के
5.	हिन्दू अविभाजित परिवार (एचयूएफ)	- सीओएस-38 पर परिवार के सभी वयस्क हमवारिसों द्वारा हस्ताक्षरित हिन्दू परिवार पत्र दिनांक और क्र - कर्ता के द्वारा उद्घोषणा - कर्ता का पैन नंबर - सभी वयस्क हमवारिसों के पैन नंबर - संयुक्त हिन्दू परिवार का पैन नंबर - किसी हमवारिस की मृत्यु पर, नए हमवारिस के जन्म पर अथवा किसी हमवारिस के वयस्क होने पर (18 वर्ष) खाताधारक संयुक्त परिवार का कर्ता है। ख) जमायाशि हिन्दू अविभाजित परिवार से संबंधित
6.	न्यास	केवाईसी दस्तावेज - पंजीकरण प्रमाणपत्र - न्यास विलेख और - पैन कार्ड या ट्रस्ट का फॉर्म - 60 (क) मुखतारनामा धारित व्यक्ति का पैन नंबर अथवा फॉर्म - 60। यदि पैन नंबर नहीं जमा किया अन्य दस्तावेज - प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, जिसमें सभी लाभप्रद स्वामियों के नाम - न्यास विलेख के प्रासंगिक पहलू प्राप्त किए गए हैं और चेक हस्ताक्षर करने, अधिकारों इसके प्रासंगिक हिस्सों को मुखतारनामा रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है। - संकल्प की एक प्रति - कम्पनी की ओर से व्यवसाय करने हेतु दिया गया मुखतारनामा (यथाप्रयोज्य) - ट्रस्टियों, निष्पादकों, प्रशासकों सहित सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा सभी लाभप्रद स्वामियों के पैन कार्ड, - वर्तमान पते का प्रमाण - सभी ट्रस्ट खातों को अपरिहार्य रूप से “उच्च जोखिम” वाले खातों के रूप में दर्ज किया जाना

क्रम संख्या	इकाई का प्रकार	केवाईसी दस्तावेज
7	अनिगमित संघ अथवा व्यक्तियों का निकाय	1. इस प्रकार के संघ व्यक्तियों निकाय द्वारा संकल्प 2. उनकी तरफ से कार्य करने के लिए स्वीकृत मुख्तारनामा 3. कंपनी का पैन अथवा फार्म 60 4. (क) उनकी तरफ से पीओए धारक व्यक्ति को जारी स्थायी खाता संख्या अथवा फार्म 60, यदि स्थायी खाता संख्या प्रस्तुत नहीं की जाती है, तब आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जाएगा । 5. ऐसी कोई सूचना जिसके माध्यम से बैंक यह सुनिश्चित कर सके कि विधिक रूप से इस प्रकार के संघ अथवा व्यक्तियों के निकायों की मौजूदगी है। 6. सभी संबंधित व्यक्तियों या लाभार्थी स्वामी का पैन कार्ड, प्रत्येक लाभधारिकारी स्वामी के संबंध में एक अनुबंध - 2 की जानकारी अलग से ली जाए 7. प्राधिकृत हस्ताक्षरित घोषणा पत्र जिसमें सभी लाभार्थी कार्यों के नाम, उनकी शेरधारिता/नियंत्रण अधिकार/हितधारिता आदि उल्लेखित हों (संलग्नक) 8. राजनैतिक दलों की स्थिति में ऊपर उल्लेखित दस्तावेजों के अलावा, यह 4 और दस्तावेज संलग्न करने होंगे - क) निर्वाचन आयोग द्वारा यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि "उक्त राजनैतिक दल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 29 (क) के अंतर्गत पंजीकृत है तथा उक्त दल को लोक सभा अथवा विधान सभा हेतु आयोजित विगत साधारण निर्वाचन, स्थिति जो भी हो, में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं । ख) राजनैतिक दल के ज्ञापन अथवा नियम एवं विनियम ग) खाता लेनदेन हेतु प्राधिकृत व्यक्ति का फोटोग्राफ, जिनके पक्ष में मुख्तारनामा स्वीकृत हो । घ) राजनैतिक दल का पता प्रमाणित करने हेतु दस्तावेज निष्पादक, प्रशासक एवं परिसमापक निष्पादक, प्रशासक एवं परिसमापक के पहचान पत्र
8.	निष्पादक, प्रशासक और परिसमापक	1. प्रोबेट अथवा प्रशासन पत्र अथवा कंपनी अधिनियम, दिनांक.....के अंतर्गत प्राधिकार पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए (निरीक्षण के लिए, विविध दस्तावेज रजिस्टर में प्रविष्टि एवं वापसी)। उसकी एक प्रति का प्रतिधारण किया जाना चाहिए। - i यदि एकाधिक निष्पादक/प्रशासक / परिसमापक नियुक्त हों, खाता संचालन को नियंत्रित करते हुए उन सभी के द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए । - ii निष्पादक, प्रशासक एवं परिसमापक समान्यतः अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन किसी तीसरे पक्ष को नहीं कर सकेंगे । - iii सभी संबंधित व्यक्तियों अथवा हितधारिकारी स्वामियों का पैन, प्रत्येक हितधारिकारी स्वामियों से स्वतंत्र रूप से अनुबंध - 2 प्राप्त किया जाना चाहिए । कर संबंधी प्रयोजन के लिए आवास का प्रमाण - IV सरकारी एजेंसी अथवा नगरपालिका समेत किसी प्राधिकृत सरकारी निकाय द्वारा कंपनी के संबंध में जारी सरकारी दस्तावेज, जिसमें कंपनी का नाम, देश में अथवा प्रदेश में (उनके दावे के अनुसार किसी भी प्रदेश में, जहां के वे निवासी हों, अथवा जहां कहीं भी कंपनी निर्गमित अथवा गठित हुई हो) उनके प्रधान कार्यालय का पता भी शामिल हो । V. यदि कंपनी भारत के बाहर किसी देश अथवा प्रदेश के निवासी हों, संबंधित सरकारी निकाय / एजेंसी द्वारा जारी टीआईएन पत्र ।
9.	सरकारी प्राधिकारियों और न्यायिक व्यक्तियों	क) सत्ता की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति के नाम को दिखानेवाला दस्तावेज ख) उसकी ओर से लेन-देन के लिए प्रतिनिधित्व रखनेवाले व्यक्ति के दस्तावेज, जो धारा 16 में निर्दिष्ट है - ऐसे एक सत्ता / न्यायिक व्यक्ति के कानूनी अस्तित्व स्थापित करने के लिए आर ई द्वारा आवश्यक माने जानेवाले ऐसे दस्तावेज

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज :

आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों की सूची में सिर्फ निम्न पाँच हैं :

1. पासपोर्ट
2. ड्राइविंग लाइसेंस
3. आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण : जहाँ ग्राहक आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज के रूप में आधार संख्या के कब्जे का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वह ऐसे आकार में उसे प्रस्तुत करें जैसा कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो
4. भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र
5. नरेंगा द्वारा जारी जाब कार्ड जो राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो
6. राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम, पते का विवरण हो
(आधार और पैन अनिवार्य हैं और आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेजों का भाग नहीं हैं)

आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज:

पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए निम्न दस्तावेज आधिकारिक तौर पर मान्य दस्तावेज होंगे :

- i) कोई भी सेवा प्रक्षता के उपभोक्ता बिल, जो दो महीने से ज्यादा पुराने न हो (बिजली, टेलीफोन, पोस्ट पैड मोबाइल फोन, पाइप गैस, पानी बिल)
- ii) संपत्ति या म्युनिसिपल कर रसीद
- iii) पता सहित पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश (पी पी) जो सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किया गया हो
- iv) नियोक्ता से आवास आर्बंटन का पत्र जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों और आधिकारिक आवास आर्बंटन करनेवाले ऐसे नियोक्ताओं के साथ पट्टे एवं लाइसेंस समझौते।

लाभार्थी मालिक कौन है

धन शोधन निवारण संशोधित अधिनियम 2013 के नियम 9 (3) के अनुसार लाभार्थी स्वामी का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हो

- (क) जहां पर ग्राहक कोई कंपनी है, लाभार्थी स्वामी वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है, जो अकेला या मिलकर, या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्तियों द्वारा जिसका नियंत्रक स्वामित्व हित निहित है या जो अन्य माध्यमों के जरिए अपना नियंत्रण है ।

स्पष्टीकरण-इस उप नियम के लिए -

- i) “नियंत्रक स्वामित्व हित” का मतलब कंपनी के पच्चीस प्रतिशत से अधिक शेयर या पूंजी या लाभ के स्वामी या हकदार से है ।
- ii) “नियंत्रण” में अधिकांश निर्देशकों की नियुक्ति करने का या प्रबंधन पर नियंत्रण करने का या नीतिगत निर्णयों के नियंत्रण का अधिकार शामिल है जो उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकार या शेयरधारक करार या वोटिंग करार के बल पर प्राप्त है ।

- (ख) यदि ग्राहक भागीदारी संस्था है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है (हैं) जो अकेले या मिले-जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति है जो अकेले या मिले - जुले रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, भागीदारी की पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है ।

- (ग) यदि ग्राहक अनिर्गमित एसोसियेशन या व्यक्तियों का निकाय है, लाभार्थी मालिक वह वास्तविक व्यक्ति है, जो अकेले या मिली - जुली रूप में या एक या एक से अधिक विधिक व्यक्ति के जरिए, एसोसियेशन या व्यक्तियों की निकाय की संपत्ति या पूंजी या लाभ के 15 प्रतिशत के मालिक या हकदार है ।

स्पष्टीकरण : व्यक्ति निकाय में सोसाइटियां भी शामिल हैं। जहां उपर्युक्त क, ख और ग के अनुसार वास्तविक व्यक्ति का पहचान नहीं किया जा सकता है वहां लाभार्थी मालिक का आशय उस संबंधित वास्तविक व्यक्ति से है जो कि वारिष्ठ प्रबंधन की भूमिका पर कार्यरत है।

- (घ) अगर कोई न्यास ग्राहक है तो लाभार्थी मालिक की पहचान के अंतर्गत न्यासी प्रमुख, न्यासी, लाभार्थियों की पहचान ली जाएगी- तो ऐसे न्यासी प्रमुख जिसकी 15 प्रतिशत से उससे अधिक का सहभागिता है, इसके अंतर्गत वास्तविक व्यक्ति होंगे नियंत्रण अथवा स्वामित्व के जरिए न्यास पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं।

- (ङ) जहां नियंत्रण हेतु ग्राहक या मालिक स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कंपनी या उसकी सहयोगी कंपनी है वैसे में किसी शेयरधारक या लाभार्थी मालिक की पहचान की आवश्यकता नहीं होगी ।

..... यहां से काट दें... (कृपया सुनिश्चित करें कि काटते समय उपर्युक्त मशीन द्वारा पढ़े जाने कोड़ को क्षति न पहुँचे)

पावती

1. नाम : _____ दिनांक : _____
2. जमा किए गए दस्तावेज _____
 - (1) _____
 - (2) _____ (3) _____
 - (4) _____ (5) _____

शाखा प्रबंधक